

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2011—कार्तिक 13, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-291-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ओ. पी. रावत, आयएएस., उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 17 से 22 अक्टूबर 2011 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15, 16 एवं 23 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया है.

(2) श्री ओ. पी. रावत की अवकाश की अवधि में श्री रजनीश वैश, आयएएस., वि.क.अ.-सह-सदस्य (पुनर्वास), नर्मदा घाटी

विकास प्राधिकरण तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से उपाध्यक्ष, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 सितम्बर 2011 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-689-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री उमाकांत उमराव, आयएएस., मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन

संस्थान (वाल्मी) को दिनांक 17 से 31 अक्टूबर 2011 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मिशन संचालक, राजीव गांधी जलग्रहण मिशन एवं समन्वय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-485-आयएस-लीव-एक-5-—(1) श्री के. पी. सिंह, आयएस., वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश को दिनांक 10 से 14 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री के. पी. सिंह की अवकाश की अवधि में श्री पंकज अग्रवाल आयएस., आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. पी. सिंह द्वारा वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज अग्रवाल, वि.क.अ.-सह-पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक मध्यप्रदेश के कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. पी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-851-आयएस-लीव-5-एक-—(1) श्री एम. बी. ओझा, आयएस., कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 17 अक्टूबर से 11 नवम्बर 2011 तक छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर एवं

12, 13 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एम. बी. ओझा की अवकाश की अवधि में डॉ. मधुरानी तेवतिया, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. बी. ओझा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. बी. ओझा द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. मधुरानी तेवतिया कलेक्टर, जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. बी. ओझा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. बी. ओझा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-523-आयएस-लीव-5-एक-—(1) श्रीमती शिखा दुबे, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् भोपाल को दिनांक 17 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2011 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती शिखा दुबे की अवकाश की अवधि में श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे, आयुक्त-सह-संचालक, हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती शिखा दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती शिखा दुबे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती वीरा राणा, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-810-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती पुष्पलता सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला अलीराजपुर को दिनांक 17 से 29 अक्टूबर 2011 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्रीमती पुष्पलता सिंह की अवकाश की अवधि में श्री बी. एल. जड़िया, अपर कलेक्टर, अलीराजपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती पुष्पलता सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती पुष्पलता सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एल. जड़िया, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती पुष्पलता सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती पुष्पलता सिंह अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-409-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री एस. आर. मोहन्ती, आयएएस., विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल को दिनांक 21 से 25 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-676-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) राज्य शासन के आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2011 द्वारा (दिनांक 23 से 28 अक्टूबर 2011 तक नॉर्वे में आयोजित अध्ययन कार्यक्रम अवधि) के अनुक्रम में श्री विश्वमोहन उपाध्याय, आयएएस., आयुक्त, पंचायती राज, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 29 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2011

तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायती राज, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विश्वमोहन उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विश्वमोहन उपाध्याय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-370-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2011 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 दिसम्बर 2011 एवं 1 जनवरी 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी की अवकाश अवधि में श्री डी. के. सामन्तरे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री इन्द्रनील शंकर दाणी द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. के. सामन्तरे, चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री इन्द्रनील शंकर दाणी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री इन्द्रनील शंकर दाणी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-1-307-2011-5-एक.—श्री उमाकांत उमराव भाप्रसे (1966) मिशन डायरेक्टर, राजीव गांधी वाटर शेड मिशन तथा समन्वयक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, आगामी आदेश तक, पदेन अपर विकास आयुक्त घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-837-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सुनीता त्रिपाठी, आयएएस., अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल को दिनांक 28 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2011 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26, 27 अक्टूबर एवं 6, 7 नवम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर परियोजना संचालक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुनीता त्रिपाठी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुनीता त्रिपाठी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-396-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग के दिनांक 21 से 29 अक्टूबर 2011 तक नौ दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे की अवकाश अवधि में श्री एम. एम. उपाध्याय, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मछलीपालन विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछलीपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. एम. उपाध्याय, मछलीपालन विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अजिता बाजपेई पांडे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-484-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रभाकर बंसोड़ आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार), जेल विभाग के

दिनांक 19 अक्टूबर 2011 से लघुकृत अवकाश पर रहने के कारण अवकाश अवधि में श्री अशोक दास, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार), जेल विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभाकर बंसोड़ को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार), जेल विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री प्रभाकर बंसोड़ द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार), जेल विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक दास, जन शिकायत निवारण एवं सामान्य प्रशासन विभाग (मानव अधिकार), जेल विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-632-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अनुपम राजन, आयएएस., संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश को दिनांक 24 से 31 अक्टूबर 2011 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री अनुपम राजन की अवकाश अवधि में श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस., प्रबंध संचालक, महिला एवं वित्त विकास निगम तथा मिशन संचालक, अटल बाल आरोग्य मिशन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम राजन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अनुपम राजन द्वारा संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. डी. अग्रवाल संचालक, महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अनुपम राजन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुपम राजन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

भोपाल, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. ई-1-331-2011-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने आदेश क्रमांक ए-110-13-29-2010-एटी, दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा श्री जी. पी. सिंघल, भाप्रसे (1980), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर बैंच में प्रशासकीय सदस्य के पद पर 05 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया गया है।

और चूंकि प्रशासकीय सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर बैंच का दिनांक 20 अक्टूबर 2011 को पदभार ग्रहण करने हेतु श्री जी. पी. सिंघल, भाप्रसे (1980) ने अपने पत्र दिनांक 22 सितम्बर, 2011 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 अपराह्न से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है तथा ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 3 माह पूर्व का नोटिस देने की शर्त शिथिल करने का अनुरोध राज्य शासन से किया है,

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16 (2) के तहत श्री जी.पी. सिंघल, भाप्रसे (1980) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति दी जाए तथा उक्त नियमों के नियम 16 (2) के परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को शिथिल किया जाय।

अतः राज्य शासन अखिल भारतीय सेवाएं (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16 (2) के तहत एतद्वारा श्री जी. पी. सिंघल, भाप्रसे (1980) को भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 (अपराह्न) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की स्वीकृति प्रदान करता है तथा उक्त नियमों के नियम 16 (2) के परन्तुक के प्रावधानों के अन्तर्गत ऐसी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित 3 माह के पूर्व नोटिस की शर्त को भी एतद्वारा शिथिल करता है। तदनुसार श्री जी. पी. सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा से दिनांक 19 अक्टूबर 2011 (अपराह्न) से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होंगे।

क्र. ई-5-40-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अरवि वैश्य, आयएएस., मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 12 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री अरवि वैश्य की अवकाश की अवधि में श्री ओ. पी. रावत, आयएएस., उपाध्यक्ष नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका उपाध्याय, सचिव "कार्मिक".

क्र. एफ. ए-5-08-2011-एक (1).—माननीय न्यायाधिपति श्री बृज किशोर दुबे, माननीय न्यायाधिपति श्री गुलाब सिंह सोलंकी और माननीय न्यायाधिपति श्री नरेश कुमार गुप्ता जिनकी नियुक्ति भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025/1/2011/यूएस-II, दिनांक 21 सितम्बर 2011 द्वारा मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर की गई है, ने अपने पद का कार्यभार दिनांक 24 सितम्बर 2011 को पूर्वाह्न में ग्रहण किया है।

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. एफ.ए.-3-48-2011-एक (1).—राज्य शासन एतद्वारा माननीय मंत्रीगण को उनकी निजी स्थापना में, एक अतिरिक्त वाहन चालक (कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर) उनके कार्यकाल (Co-Terminous) तक स्वेच्छा से नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री विनोद कुमार, आयएएस., श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2011 तक दस दिन के स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-770-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, आयएएस., कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 19 से 23 जुलाई 2011 तक पांच दिन का पितृत्व अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-819-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री केदार शर्मा, आयएएस., सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 23 सितम्बर से 3 अक्टूबर 2011 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री केदार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री केदार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. ई-5-498-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय नाथ, आयएएस., तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 27 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2011 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री अजय नाथ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय नाथ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-777-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अशोक कुमार शिवहरे, आयएएस., कमिश्नर, चम्बल संभाग, मुरैना को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2011 द्वारा दिनांक 12 से 14 अक्टूबर 2011 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग नहीं किये जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई-5-432-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती अमिता शर्मा, भाप्रसे (1981) को दिनांक 31 जुलाई से 7 अक्टूबर 2011 तक उनहत्तर दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. तोमर, अवर सचिव, "कार्मिक"

भोपाल, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-ए-5-16-2010-एक (1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री अनिल कुमार शर्मा साहब, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर, खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	19-9-2011 से 23-9-2011 तक.	5 दिन	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व दिनांक 17 सितम्बर 2011 से 18 सितम्बर 2011 तक एवं अवकाश के पश्चात् दिनांक 24 सितम्बर 2011 से 25 सितम्बर 2011 तक सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ-03-47-2011-दो ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
----------	------------------------	-----------

उच्चस्तर
भोपाल संभाग

1	श्री विवेक कुमार पाण्डेय	जिला संयोजक
---	--------------------------	-------------

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. एफ-03-45-2011-दो-ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 25 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
----------	------------------------	-----------

उच्चस्तर
सागर संभाग

1	श्री नजीर अली	हाउस मास्टर (कार्यपालिक)
---	---------------	--------------------------

निम्नस्तर
शहडोल संभाग

1	श्री कुवंर धुर्वे	हाउस मास्टर
---	-------------------	-------------

जबलपुर संभाग

2	श्री अनुज कुमार शर्मा	हाउस मास्टर
---	-----------------------	-------------

क्र. एफ-03-46-2011-दो-ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्य के साधनों, राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
जबलपुर संभाग**

1	श्री रघुवर शाह उइके (सश्रेय)	सहायक संचालक (प्रबंधक).
---	------------------------------	----------------------------

रीवा संभाग

2	श्री नवीन कुमार काछी (सश्रेय)	सहायक संचालक (प्रबंधक).
---	-------------------------------	----------------------------

क्र. एफ-03-48-2011-दो-ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र अनुसूचित जाति तथा आदिवासी विकास-प्रश्नपत्र तृतीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**निम्नस्तर
भोपाल संभाग**

1	श्री दुर्गेश रायकवार	सहायक जनसंपर्क अधिकारी.
---	----------------------	----------------------------

ग्वालियर संभाग

2	श्री संजीव कुमार पाठक	सहायक संचालक (जनसंपर्क).
---	-----------------------	-----------------------------

जबलपुर संभाग

1	श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा	सहायक संचालक (जनसंपर्क).
---	----------------------------	-----------------------------

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र. एफ-03-49-2011-दो-ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र-भाग-एक (बिना पुस्तकों के) विषय

में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
उज्जैन संभाग**

1	डॉ. वर्षा संजय नानोटकर	पशु चिकित्सा शलयज्ञ
---	------------------------	---------------------

क्र. एफ-03-50-2011-दो-ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र सिविल पशु चिकित्सा अधिकारियों का लेखा प्रश्नपत्र-भाग-दो (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**उच्चस्तर
उज्जैन संभाग**

1	डॉ. वर्षा संजय नानोटकर	पशु चिकित्सा शलयज्ञ
---	------------------------	---------------------

क्र. एफ-03-51-2011-दो-ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र व्यवहारिक शाखा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

भोपाल संभाग

1	श्री कुमार सौरभ	आई.पी.एस.
2	श्री शियास दा	एस.डी.ओ.पी.

ग्वालियर संभाग

3	कु. श्रद्धा जोशी	उप पुलिस अधीक्षक
---	------------------	------------------

इन्दौर संभाग

4	श्रीमती कृष्णा बेनी देसावत	एडीशनल एस.पी.
---	----------------------------	---------------

क्र. एफ-03-52-2011-दो-ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 26 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम (पुस्तकों सहित-केवल नियम एवं अधिनियम) विषय में

सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
उच्चस्तर रीवा संभाग		
1	श्री नवीन कुमार कांछी	सहायक संचालक/ प्रबंधक (उद्योग).
क्र. एफ-03-53-2011-दो-ए(तीन).—राज्य शासन द्वारा वन विभाग वन क्षेत्रपालों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रक्रिया प्रश्न-पत्र प्रथम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—		
अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
भोपाल संभाग		
1	श्री सुरेश बरोले	वन क्षेत्रपाल
2	कु. सुनीता अहिरवार	वन क्षेत्रपाल
सागर संभाग		
3	श्रीमती विनीता फुलबेल	वन क्षेत्रपाल
ग्वालियर संभाग		
4	श्री दशरथ अखण्ड	वन क्षेत्रपाल
5	श्री मनोज कुमार जाटव	वन क्षेत्रपाल
6	श्री उदय भान मांझी	वन क्षेत्रपाल
जबलपुर संभाग		
7	श्री राकेश शाक्यवार	वन क्षेत्रपाल
8	श्री हरिकरण पटेल	वन क्षेत्रपाल
9	श्री वीरेन्द्र सिंह जामोर	वन क्षेत्रपाल
10	कु. भावना श्रीवास	वन क्षेत्रपाल
11	श्री अमित सोनी	वन क्षेत्रपाल
12	श्री नितिन कुमार निगम	वन क्षेत्रपाल
13	श्री मनोज कुमार सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
14	श्री विनय कुमार मेश्राम	वन क्षेत्रपाल
15	श्री श्रीराम सूत्रकार	वन क्षेत्रपाल
16	श्री भजन सिंह मरावी	वन क्षेत्रपाल
इन्दौर संभाग		
17	श्री पीरूलाल परिहार	वन क्षेत्रपाल
रीवा संभाग		
18	श्री मितेन्द्र कुमार चिचखेड़े	वन क्षेत्रपाल
19	श्री गणेश कुमार उड्के	वन क्षेत्रपाल

(1) (2) (3)

होशंगाबाद संभाग

20	श्री अजय वाहने	वन क्षेत्रपाल
21	श्री मुकेश कुमार जामोर	वन क्षेत्रपाल
22	श्री मनेन्द्र सिंह जंयत	वन क्षेत्रपाल

क्र. एफ-03-54-2011-दो-ए (तीन).—राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 29 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

**उच्चस्तर
जबलपुर संभाग**

1	श्रीमती बबीता इन्दु मिश्रा	सहायक संचालक
---	----------------------------	--------------

इन्दौर संभाग

2	श्री माथन सिंह उड्के	सहायक संचालक
---	----------------------	--------------

ग्वालियर संभाग

3	श्री संजीव कुमार पाठक	सहायक संचालक
---	-----------------------	--------------

भोपाल संभाग

4	श्री आशीष कुमार शर्मा	सहायक संचालक
---	-----------------------	--------------

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

1	श्री दुर्गेश रायकवार	सहायक जनसंपर्क अधिकारी.
---	----------------------	----------------------------

क्र. एफ-03-56-2011-दो-ए (तीन).—राज्य शासन द्वारा ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंसूलेशन को आर्डिनेशन व हजार्डस एरिया) ऊर्जा विभाग के लिये (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. परीक्षार्थी का नाम पदनाम
(1) (2) (3)

**निम्नस्तर
उज्जैन संभाग**

1	श्री बालचन्द्र वर्मा	सहायक यंत्री (वि.सु.) एवं सहायक विद्युत् निरीक्षक.
---	----------------------	---

भोपाल, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-03-57-2011-दो-ए (तीन).—राज्य शासन द्वारा उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा जो दिनांक 28 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र लेखा (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

**निम्नस्तर
रीवा संभाग**

- | | | |
|---|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | श्री नवीन कुमार कांछी | सहायक संचालक/
प्रबंधक (उद्योग). |
|---|-----------------------|------------------------------------|

क्र. एफ-03-58-2011-दो-ए (तीन).—राज्य शासन द्वारा पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 27 जुलाई 2011 को प्रश्न-पत्र पुलिस शाखा (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
-------------	---------------------------	--------------

भोपाल संभाग

- | | | |
|---|---------------|-------------|
| 1 | श्री शियास दा | एस.डी.ओ.पी. |
|---|---------------|-------------|

इन्दौर संभाग

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| 2 | श्रीमती कृष्ण बेनी देसावत | अति. पुलिस अधीक्षक |
|---|---------------------------|--------------------|

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय, उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. 1545-1269-2011-तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत ताजमहल, जिला भोपाल को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4-2-05-सं.-30, दिनांक 30 अप्रैल 2005 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त स्मारक को पर्यटन हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है. अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2005 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

क्र. 1547-1269-2011-तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत माधवगढ़ का किला, जिला सतना को संस्कृति विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-6-2-79-सं.-30, दिनांक 16 अप्रैल 1984 द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उक्त स्मारक को पर्यटन हेरिटेज होटल के रूप में विकसित किया जाना प्रक्रियाधीन है. अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा घोषित करता है कि उक्त अधिसूचना दिनांक 16 अप्रैल 1984 द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किए गए स्मारक/क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-7-37-2001-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 के नियम 17 के अध्याधीन राज्य शासन, द्वारा श्रीमती प्रीति बाजपेयी, जबलपुर को आगामी आदेश तक, जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 24/25 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-3-29-2010-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 (घ) के अन्तर्गत सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में आयुक्त नगरपालिक निगम, सिंगरौली पदेन सदस्य रहेंगे.

2. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 40 की उपधारा (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा सिंगरौली नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी में निम्नलिखित अधिकारियों को शासकीय सदस्य नियुक्त करता है:—

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रीवा
2. उप वनमण्डलाधिकारी, वनमंडल, सिंगरौली
3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सिंगरौली
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सिंगरौली
5. कार्यपालन यंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल, सिंगरौली.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उपसचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-1 (ए) 18-2004-ब-2-दो.—श्री अभय सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, उत्तर क्षेत्र, भोपाल को दिनांक 10 एवं 11 अगस्त 2011 की मध्यरात्रि में थाना तलैया क्षेत्र अन्तर्गत इतवारा (भोपाल) में दो समुदाय के मध्य हुये उपद्रव में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आंख में आई गंभीर चोट के कारण अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 44 एवं 45 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 11 अगस्त से 15 अक्टूबर 2011 तक कुल छप्पन दिवस का विशेष अपंगता अवकाश (Special Disability Leave) स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश काल में श्री अभय सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि भी अभय सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 154-93-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), इन्दौर को दिनांक 29 अगस्त से 6 सितम्बर 2011 तक, कुल नौ दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स), इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. एफ 1 (ए) 23-77-ब-2-दो.—श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2011 तक, कुल छः दिवस, दिनांक 20 एवं 27 नवम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश दिनांक 7 दिसम्बर से 9 दिसम्बर 2011 तक, तीन दिवस दिनांक 6, 10 एवं 11 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश एवं दिनांक 19 दिसम्बर 2011 से 24 दिसम्बर 2011 तक कुल छः दिवस दिनांक 17, 18 एवं 25 दिसम्बर 2011 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कुल पन्द्रह दिवस के अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रदाय देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. जी. कापदेव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक दास, अपर मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

क्र. सामान्य 1-2011-632-क्र. एफ. 59-01-04.—संशोधित आदेश.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999-1-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग 2 के अनुक्रमांक 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर, जिला शाजापुर वर्ष 2011 के लिये निम्नानुसार दिनांक का स्थानीय अवकाश में संशोधन घोषित करती हूँ :—

क्र. (1)	नाम त्यौहार (2)	दिनांक (3)	वार (4)	क्षेत्र (5)
1	दीपावली का दूसरा दिन	27-10-2011	गुरुवार	आगर अनुभाग छोड़कर सम्पूर्ण जिला
	भाइदूज	के स्थान पर 28-10-2011	शुक्रवार	आगर अनुभाग छोड़कर सम्पूर्ण जिला

उक्त आदेश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

सोनाली एन. वायंगणकर, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

क्रमांक-1516-भू-अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 17-अ-82-10-11

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है. जिसकी ओर से मुख्यतयार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

- (1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम भट्याण बुजुर्ग के पुर्नबसाहट हेतु ग्राम भग्यापुर, प. ह. नं. 35 तहसील कसरावद, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 25 कुल क्षेत्रफल 37.067 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू-अर्जन हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण

निम्नानुसार परिशिष्ट-1 में अंकित है.

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम भग्यापुर
ग्राम भट्याण बुजूर्ग की पुर्नबसाहट हेतु.

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	राजुबाई बेवा भीलू, बद्रीनारायण पिता भीलू, रमेशचन्द्र गबरूलाल, भुवानीराम, सेवन्तिबाई, दमयन्तिबाई पिता बाबु भारूड सा. देह.	219	3.116	—
2	रामेश्वर पिता शेरू भारूड सा. देह	220/1	1.214	—
3	भाईराम, धनुबाइ पिता पदम भारूड सा. देह	220/2	0.842	—
4	कड़वा पिता राजाराम, भुवानीबाई बेवा राजाराम भारूड सा. देह.	220/3	1.259	—
5	गजराबाई बेवा शेरू, भारूड सा. देह	220/4	0.543	—
6	गोविन्द पिता रणछोड़, भारूड सा. देह	223/1	1.660	—
7	कमल पिता गोविन्द, भारूड सा. देह	223/2	1.027	—
8	आशाराम पिता नाना, भारूड सा. देह	225/1	2.242	—
9	आनंदराम पिता टीकाराम, शकुन्तला पति आनंदराम, अक्षय पिता आनंदराम, अ. पा. क. आनंदराम पिता टीकाराम गुजर सा. मर्दाना.	226/1	3.906	ट्यूबवेल-1
10	रामेश्वर पिता भगवान, भारूड सा. देह	226/2 K	1.768	—
11	बसुबाई बेवा बलिराम, कालूराम, कमलेश, अंजबाई पिता बलिराम भारूड सा. देह.	226/2 Kh	1.768	—
12	आमुखां पिता आजमतखां, पिंजारा सा. पिपलगोन	228/1	1.606	—
13	फिरोज पिता आमुखां, पिंजारा सा. पिपलगोन	228/2	1.619	—
14	किरणबाई, मधुबाला, कविता, सीमा, सुधा पिता बिहारीलाल ब्राम्हण पिपलगोन.	229 230/1 230/2	0.534 1.943 1.983	— — कुआं पक्का-1
योग . .		03	4.460	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	सदाशिव पिता भागीरथ बलाई, सा. देह	231/1	0.971	कुआं पक्का-1
16	भागीरथ पिता ओंकार बलाई, सा. देह	231/2	0.482	—
17	गोपीचंद राजाराम, सैतुलबाई पिता भग्या, ओमप्रकाश, रामेश्वर, लक्ष्मीबाई, गेन्दाबाई पिता शोभाराम, बाबु, रमेश, भगवान, रामेश्वर, भाईराम, कमलाबाई, गजराबाई पिता मंगत, बाबु, शेरू अम्बाराम, बागसिंह, राघोराम, नानीबाई, पिता गंगाराम कहार, सा. देह.	232	1.983	—
18	जगदीश पिता धिराजी गुजर सा. पिपलगोन	233/1	1.983	कुआं पक्का-1
19	कमलचंद पिता भलाजी गुजर, सा. पिपलगोन	233/2	2.469	—
20	नत्थु पिता भागचंद कहार, सा. पिपलगोन	233/3	1.214	कुआं पक्का-1
21	धन्नालाल पिता नत्थु कहार सा. पिपलगोन	233/4	0.935	—
महायोग . .		25	37.067	

- राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-36-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू-अर्जन की सशर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

- कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
- उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेगा.

- (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजुर्ग के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम भग्यापुर की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम भग्यापुर की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 37.067 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.
 2. कंपनी (इस आशय के करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जाये.
 4. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
 5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
 6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
 7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
 8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
 9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
 10. भूमि पर निर्माण कार्य करारते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
 11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
 12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
 13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
 14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.

15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
 - (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
 - (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
 - (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
 - (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरालाल मण्डलोई

पता : 219 बजरंग नगर,

जेतापुर (खरगोन).

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : गोपाल यादव

पता : रुद्रेश्वर कालोनी,

खरगोन.

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,

श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,

मण्डलेश्वर.

क्रमांक-1515-भू-अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 18-अ-82-10-11

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित हैं. जिसकी ओर से मुख्यतयार—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु ग्राम जिरभार प. ह.नं. 32, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे नम्बर संख्या 45 कुल क्षेत्रफल 52.349 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू-अर्जन हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 में अंकित है :-

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम जिरभार
ग्राम मर्दाना के पुनर्बसाहट हेतु.

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	हरिकरण पिता मंगत्या गुजर सा. देह	98/1	1.062	—
2	हुकुमचंद पिता मंगत्या गुजर सा. देह	98/2	1.062	—
3	सिद्धराम पिता नंदराम गुजर सा. देह	99/1	1.504	—
4	बलीराम पिता नंदराम गुजर सा. देह	99/2	1.064	—
5	बलीराम पिता नंदराम गुजर सा. देह	99/3	0.405	—
6	दीपक पिता ओमप्रकाश ब्राम्हण सा. देह	100	1.457	—
7	सुरेश पिता बाल्या गुजर सा. देह	101	2.225	कुआं पक्का-1
8	लवकेश पिता दुर्गाराम गुजर सा. देह	102/1	0.575	नलकूप-1
9	द्वारकीबाई बेवा राधेश्याम गुजर सा. देह	102/2	0.809	—
10	तिलोकचंद पिता नंदराम गुजर सा. देह	103	0.611	—
11	तिलोकचंद पिता नंदराम गुजर सा. देह	104	1.833	कुआं पक्का-1
12	तुलसीराम पिता धनाजी गुजर सा. देह	106/1	0.645	—
13	गोवर्धन पिता राजाराम गुजर सा. देह	106/2	0.809	—
14	दिनेश पिता रामचन्द गुजर सा. देह	107/1	0.700	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	कमलचंद पिता गुलाबचंद, गुजर सा. देह	107/2	0.700	—
16	कड़वा पिता भगवान, गुजर सा. देह	108/1	0.704	—
17	हरिराम पिता राजाराम, गुजर सा. देह	108/2	0.700	—
18	बाबूलाल पिता चम्पालाल, गुजर सा. देह	108/3	0.700	कुआं पक्का-1
19	मांगीलाल पिता मोहन, गुजर सा. देह	109	0.930	—
20	देवराम पिता पुनाजी, द्वारकीबाई बेवा पुनाजी गुजर सा. देह.	110/1	4.160	—
21	धनाजी पिता किशन गुजर सा. देह	110/2	2.081	नलकूप-1
22	मिश्रीलाल, लखन, गंगाबाई, राजकोर, शिवकोर पिता भलाजी गेन्दाबाई बेवा भलाजी, गुजर सा. देह.	110/3	1.878	—
23	मिश्रीलाल, लखन, गंगाबाई, राजकोर, शिवकोर पिता भलाजी गेन्दाबाई बेवा भलाजी गुजर सा. देह.	110/4	0.202	—
24	अशोक कुमार, रविन्द्र पिता अमरसिंह मर्दाना	112/1	2.226	—
25	आनंदराम पिता टिकाराम साद, गुजर सा मर्दाना	112/2	3.339	—
26	नारायण पिता बाबू, गुजर सा. देह	113/1	0.944	—
27	राघोराम पिता नत्थू, गुजर सा. देह	113/2	1.647	—
28	राजाराम पिता नत्थूसिंह, गुजर सा. देह	113/3	1.214	—
29	गुलाबचंद पिता लक्ष्मीनारायण, ब्राम्हण सा. देह	114/2	1.881	—
30	मोहन पिता लक्ष्मीनारायण, ब्राम्हण सा. देह	114/3	1.660	—
31	विशाल पिता ओमप्रकाश, ब्राम्हण सा. देह	114/4	1.477	—
32	संतोष पिता राजनाथ, ब्राम्हण सा. देह	114/5	0.486	—
33	मोहन पिता लक्ष्मीनारायण, ब्राम्हण सा. देह	114/9	0.081	—
34	विशाल पिता ओमप्रकाश, ब्राम्हण सा. देह	114/11	0.384	—
35	संतोष पिता राजनाथ ब्राम्हण सा. देह	114/13	0.308	—
36	तुलसीराम, सालगराम पिता रूखडू, सुजानबाई बेवा, रूखडू गुजर सा. देह.	115/1	1.870	कुआं पक्का-1
37	हरिराम पिता हीराजी, गुजर सा. देह	115/2	0.957	—
38	श्रीराम पिता हीराजी, गुजर सा. देह	115/3	0.957	कुआं पक्का-1
39	मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह	116/1	1.437	—
40	कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह	116/2	1.052	—
41	कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह	116/4	0.364	—
42	कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह	117/1	1.003	—
43	मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह	117/2	1.214	—
44	मयाचंद पिता कड़वा, गुजर सा. देह	117/3	0.567	—
45	कड़वा पिता मंगत्या, गुजर सा. देह	117/5	0.465	—
योग . .		45	52.349	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-34-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू-अर्जन की शर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

- (क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
 - (ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
 - (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेंगी.
 - (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना के पुनर्बासाहट हेतु ग्राम जीरभार की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील बड़वाह जिला खरगोन के ग्राम जिरभार की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 52.349 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेगे.
 2. कंपनी (इस आशय के करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें.
 4. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.

5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.

- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा को सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्चुरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर
(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1
हस्ता./-
नाम : मथुरालाल मण्डलोई
पता : 219 बजरंग नगर,
जेतापुर (खरगोन).

साक्षी क्र.-2
हस्ता./-
नाम : गोपाल यादव
पता : रुद्रेश्वर कालोनी,
खरगोन.

पक्ष क्रमांक-1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-
(डॉ. नवनीत मोहन कोठारी)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2
हस्ता./-
(असद जाफर)
महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

क्रमांक-1217-भू-अर्जन-2011

खरगोन, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 19-अ-82-10-11

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित है) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है

(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित हैं. जिसकी ओर से मुख्यतया—

श्री असद जाफर, महाप्रबंधक जो श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. अभयांचल परिसर मण्डलेश्वर जिला खरगोन म. प्र. में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 12 अक्टूबर 2011 को सम्पादित किया जा रहा है.

1. कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के ग्राम मर्दाना के पुर्नबसाहट हेतु ग्राम शाहपुरा, प. ह. नं. 69 तहसील बड़वाह, जिला खरगोन की निजी कृषि भूमि कुल सर्वे संख्या 49 कुल क्षेत्रफल 47.558 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां कृषकों द्वारा सहमति से विक्रय नहीं करने से भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अनिवार्य भू-अर्जन हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है. जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 में अंकित है :—

परिशिष्ट—1

निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं ग्राम शाहपुरा ग्राम मर्दाना के पुर्नबसाहट हेतु.

अनु. क्र.	नाम भूमिस्वामी/पिता का नाम एवं जाति	ख. नं.	अर्जनीय क्षेत्रफल (हे. में.)	संपत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कलाबाई पति सीताराम, अज्ञान नैनसिंह, देवीसिंह, तिलोकसिंह हरिराम पिता सीताराम, अ. पा. क. कलाबाई पति सीताराम बलाई सा. कानापुर.	1/1	1.619	चांदा-1
2	सीताराम पिता देवा बलाई सा. कानापुर	1/2	1.558	—
3	गफुर, शकुर, सादिक, ईदरीश पिता मेहबूबखां, जेबून बेवा मेहबूबखां मुसलमान सा. कानापुर.	2/1	0.688	—
4	अकबरअली पिता सबदर अली मुसलमान, सा. भीलगली, सनावद.	2/2	0.688	—
5	शिवराम पिता फत्तुसा महाजन सा. कानापुर	3	2.023	—
6	राधेश्याम पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा	4/1	0.182	—
7	राधेश्याम पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा	4/3	0.562	—
8	रमेश पिता केशव, गुजर सा. कातौरा	5/1	0.267	कुआं-1
9	— " —	5/3	0.514	—
10	हुकुमचंद, राधेश्याम, जगदीश, मनोरमा, गायत्री, कृष्णा पिता भीका, कलाबाई बेवा भीका महाजन सा. कानापुर.	6/1	1.331	कुआं-1
11	हुकुमचंद, राधेश्याम, जगदीश, मनोरमा, गायत्री, कृष्णा पिता भीका, कलाबाई बेवा भीका महाजन सा. कानापुर.	6/3	0.567	—
12	गुलाबबाई, सरस्वतीबाई, रूखमाबाई पिता हिरा, गुजर सा. कातौरा.	7	0.697	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	नराण पिता नत्थू, सीताबाई बेवा नत्थू, पारूबाई, घीसीबाई पिता नत्थू गुजर सा. कातौरा	8	2.225	—
14	गुलाबबाई, सरस्वतीबाई, रूखमाबाई पिता हिरा गुजर सा. कातौरा.	9	1.295	कुआं पक्का-1
15	खुश्याल पिता गोपाल अजुध्दया, द्वारकी, नानी पिता गोपाल इन्दौरीलाल पिता मोतीराम, सुकईबाई बेवा मोतीराम, मंगती, सुमन पिता मोतीराम गुजर सा. कातौरा.	10	1.295	—
16	कन्हैयालाल पिता रेवाराम गुजर सा. कातौरा	11/1	1.417	—
17	जगदीश पिता रेवाराम गुजर, सा. कातौरा	11/2	0.902	—
18	कंचनबाई बेवा प्रेमलाल, कृष्णा, राधा पिता प्रेमलाल अज्ञान रूखमणी, दिपाली, रूपाली, आदित्य पिता प्रेमलाल अ. पा. क. कंचनबाई बेवा प्रेमलाल, जशोदाबाई बेवा रेवाराम गुजर सा. कातौरा.	11/3	1.214	—
19	कुंवरजी, किशन पिता बाल्या, गुजर सा. कातौरा	12/1	0.842	—
20	जगदीश पिता रेवाराम गुजर सा. कातौरा	12/2	0.311	—
21	तोताराम, चंपालाल पिता कन्हैया, गुजर सा. कातौरा	13/1	0.941	—
22	रामेश्वर पिता लक्ष्मण गुजर सा. कानापुर	13/2	0.880	—
23	लेखराम पिता रामलाल गुजर सा. कातौरा	13/3	0.471	—
24	तुकाराम पिता लक्ष्मण गुजर सा. कानापुर	13/4	0.881	—
25	तिलोकचंद पिता रामलाल गुजर सा. कातौरा	13/5	0.470	—
26	लक्ष्मी पिता हिरालाल, कड़वी बेवा हीरालाल, गुजर सा. कानापुर.	24/1	0.802	—
27	लक्ष्मी पति शोभाराम सुतार बकावां	24/2	0.809	—
28	बनारसबाई पति गोविन्द गुजर, सा. कानापुर	24/3	1.214	—
29	नानीबाई पति तापीराम गुजर सा. कातौरा	28	2.501	—
30	नन्दा बेवा भीका, कन्हैया, हरि पिता गंगाराम, कन्हैया, नाना पिता भीका गुजर सा. कातौरा	29	2.516	कुआं पक्का-1
31	हिरालाल पिता टीकाराम, गुजर सा कातौरा	30	0.534	—
32	कौशल्य्या बेवा रतन, गुजर सा कातौरा	31	1.028	—
33	आनंदराम, भोलूराम, हीरालाल, मिसरबाई, लक्ष्मीबाई, अनोखीबाई, पिता मांगीलाल, गुजर सा कातौरा.	32	0.543	—
34	राजाराम, रूपचंद केवलराम, गंगा, जीवन्ती पिता घुसाई, गुजर सा कातौरा.	33	0.640	कुआं पक्का-1
35	भरतलाल पिता श्रीराम ब्राम्हण सा. डूडगांव	34/1	1.177	—
36	भरतलाल पिता श्रीराम ब्राम्हण सा. डूडगांव	34/2	1.178	—
37	सिद्धनाथ पिता छज्जुनाथ, गुजर सा. बकावां	35/1	2.233	—
38	निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा	35/2	0.809	कुआं पक्का-1
39	निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा	35/3	0.405	—
40	निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा	36	0.769	—
41	निर्मलाबाई पति राधेश्याम, गुजर सा. कातौरा	37	0.243	—
42	नाना उर्फ एडू पिता नत्थू गुजर सा. कातौरा	38/1	0.203	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
43	गिरीजाबाई पति ओमप्रकाश, गुजर सा. कातौरा	38/2	2.015	—
44	बालकराम पिता सीताराम कहार, सा. कानापुर	39/1	0.607	—
45	अकबरअली पिता सबदर अली मुसलमान सा. भीलगली सनावद.	39/2	0.607	—
46	कौशल्या बेवा रतन, गुजर सा. कातौरा	40	0.784	—
47	भगवान, अमरू, जगन्नाथ, भागवत, पिता झापड़िया श्याणी बेवा झापड़िया, गुजर सा. कातौरा	41	0.777	—
48	श्रीराम पिता मोतीराम गुजर सा. कानापुर	42	0.749	—
49	दुलीचंद पिता गंगाराम, गुजर सा. कातौरा	43	0.575	—
योग . .		49	47.558	

2. राज्य शासन ने नियमों के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है, कि उक्त जल विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत् की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
3. कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार म. प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-12-33-2010-सात-2ए, भोपाल दिनांक 17 फरवरी 2011 द्वारा भू-अर्जन की शर्त अनुमति प्रदान की है. इसका इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
4. कंपनी को प्रदत्त अनुमति की शर्त के पालन में कम्पनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कम्पनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि:—

- (क) कम्पनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेंगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
 - (ख) कम्पनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेंगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.
 - (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट-1 में वर्णित निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसम्पत्तियां कम्पनी को प्रदान करेंगी.
 - (i) महेश्वर जल विद्युत परियोजना के बांध से डूब प्रभावित ग्राम मर्दाना बुजुर्ग के पुनर्बासाहट हेतु ग्राम शाहपुरा की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 12-01-2011 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील कसरावद जिला खरगोन के ग्राम जिरभार की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 47.558 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अन्तर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
1. भारत सरकार द्वारा घोषित वर्ष 2007 अधिसूचित दिनांक 31-10-2007 के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति लागू होगी जिसके अधीन कंपनी द्वारा पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन की कार्यवाही विधिवत की जाए. मध्यप्रदेश शासन द्वारा यदि केन्द्र शासन की नीति के अलावा मध्यप्रदेश के लिये अन्य कोई शर्तें या निर्देश प्रसारित किये जाते हैं तो वे भी लागू किये जावेंगे.

2. कंपनी (इस आशय के करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा।
3. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के उपरांत ही कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही की जायें।
4. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर्स के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे।
5. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म. प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी।
6. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे।
7. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित एवं स्थानीय संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होगा तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा।
8. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा।
9. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जन की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा।
10. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा।
11. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा। (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत)
12. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा।
13. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा। आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा।
14. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा।
15. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा।
16. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी। इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा।
17. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है, या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों संपत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा।
18. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा।

19. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो, उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जायेगी.
20. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण करने का अधिकार होगा.
21. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जाये कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके साथ ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये, कि प्रस्तावित परियोजना में वन अभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 41 के प्रावधानों अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला खरगोन एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री असद जाफर, महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हाथडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर जिला खरगोन द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : मथुरालाल मण्डलोई

पता : 219 पुष्प कुंज बजरंग नगर,
जेतापुर (खरगोन).

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : गोपाल यादव

पता : रुद्रेश्वर कालोनी,
खरगोन.

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(नवनीत मोहन कोठारी)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.
जिला-खरगोन (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(असद जाफर)

महाप्रबंधक,
श्री महेश्वर हाथडल पॉवर कार्पो. लिमि.,
मण्डलेश्वर.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 23 सितम्बर 2011

प्र.क्र. 04-अ-82-वर्ष-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	रीठी	सैदा प.ह.नं. 16	निजी— 1.59 कुल— 1.59	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग पन्ना.	लीपरी जलाशय योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र.क्र. 05-अ-82-वर्ष-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	रीठी	मढादेवरी प.ह.नं. 29	निजी— 5.11 कुल— 5.11	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग पन्ना.	लीपरी जलाशय योजना

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12-1650.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	टोंकखुर्द	मोहम्मद खेडा	1.21	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास.	जनोली तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण में ग्राम मोहम्मद खेडा की निजी भूमि हेतु अर्जित की जाने से.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, 14 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	आलमपुरा	1.080	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम आलमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	तखा	5.480	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम तखा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	मनिकपुरा जागीर.	1.156	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम मनिकपुरा जागीर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	पहाडी खुर्द	4.310	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम पहाडी खुर्द की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	अनंतपुरा	0.291	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम अनंतपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हनुमान सागर	3.054	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हनुमान सागर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	टीकमगढ़ खास.	1.540	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम टीकमगढ़ खास की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा

4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	हीरानगर	4.726	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम हीरानगर की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	कुंवरपुरा	3.440	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम कुंवरपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा

4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बंधिया	3.680	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बंधिया की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	बौरी	1.141	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम बौरी की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	महाराजपुरा	1.008	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम महाराजपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	टीकमगढ़	धरमपुरा	2.506	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़.	हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ परियोजना के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—हरपुरा के समीप स्थित वियर से नहर निर्माण हेतु ग्राम धरमपुरा की भूमि का अर्जन भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, सर्वेक्षण एवं अनुसंधान संभाग, टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 1274-भू-अर्जन अधि.-सिवनी-2011—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी	पिपरिया प.ह.नं. 09	2.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 01, सिवनी.	स्पील चैनल निर्माण

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1275-भू-अर्जन अधि.-सिवनी-2011—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी	बेलगांव प.ह.नं. 10	0.85	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 01, सिवनी.	बांध एवं नहर निर्माण

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1276-भू-अर्जन अधि.-सिवनी-2011—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी	जेवनारा प.ह.नं. 10	0.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्र. 01, सिवनी.	नहर निर्माण

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, केवलारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 अक्टूबर 2011

क्र. 1552-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	ढाकबैड़ी	2.750	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	जेतगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 08-पत्र क्र. 383-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894, (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बिरहुली	1.137	अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, तहसील रघुराजनगर.	भिलाई जे.पी. सीमेंट लिमिटेड बाबूपुर, सतना के रेल्वे सायडिंग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

क्र. 870-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	डीही 241, प.ह.-बिहरिया 41	0.586	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु संभाग रीवा (म. प्र.).	दूबी-गढ़वा मार्ग के कि.मी. 3/6 में बिछिया नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(2)	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.				
(3)	दूबी-गढ़वा मार्ग के के.मी. 3/6 में बिछिया नदी पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मनावर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्र. 2148-वाचक-प्र.क्र. 04-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	सिरसाला (पूरक) प.ह.नं. 23	1.052	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर.	औंकारेश्वर परियोजना के मुख्य नहर की आर.डी. 133910 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 69 के बिच प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान)कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 30, मनावर, जिला-धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

धार, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. 366-वाचक-प्र.क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धरमपुरी	सिरसोदिया	17.220	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना/औंकारेश्वर नहर परियोजना धरमपुरी, जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2125-वाचक-प्र.क्र. 03-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	रालामण्डल	13.182	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर.	औंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना चतुर्थ चरण (ग्रुप-2) के मुख्य नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर धार, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. 737-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—गोपद बनास
(ग) नगर/ग्राम—कोतरकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.166 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे में) (2)
2/2	0.089
111 जुज	0.061
112	0.016
कुल योग . .	0.166

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गोपालदास
पिकअप वियर तटबंध निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान)का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी
गोपद बनास के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. एन. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 14 अक्टूबर 2011

प्र. क्र.-04-अ-82-2010-11-657.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—टोंकखुर्द
(ग) नगर/ग्राम—मोहम्मदखेड़ा
(घ) क्षेत्रफल—9.83 हेक्टर.

सर्वे नं.	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
182	0.32
187	0.26
188	0.97
189	0.38
190	0.12
191	0.12
192	0.43
206	0.29
208	0.97
183	0.49
184	0.49
185	0.49
186	0.49
194	0.39
211	0.06
215	0.30
195	0.03
197	0.03
213/1	0.76
214	1.01
217	1.00
218	0.22
219	0.12
योग . .	9.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जनोली तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने से.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) के निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग देवास मुख्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-05-अ-82-2010-11-664.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यक है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—टोंकखुर्द
(ग) नगर/ग्राम—बीजेपुर सेकली
(घ) क्षेत्रफल—9.87 हेक्टर.

सर्वे नं.	डूब का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
922	0.30
1088	0.37
923	0.35
924	0.23
925/1	0.21
1089/2	0.83
925/2	0.20
1089/1	0.84
927/1	0.30
927/2	0.20
964	0.29
966	0.65
965/1	1.00
1081/1	0.05
1082	0.99
1083	0.99
1084	0.11
1086	0.80
1085	0.32
1089/3	0.84
योग . . . 9.87	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जनोली तालाब के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने से।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) के निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी सोनकच्छ तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग देवास मुख्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. 7889-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—पांडुर्णा
(ग) नगर/ग्राम—धनौरा, प.ह.नं.—11, ब.नं.—201, रा. नि. मंडल—नांदनवाड़ी
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.060 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
36/1	0.106
39	0.046
113/1	0.004
40/1	0.047
41/1	0.027
72/1	0.028
127/1	0.009
40/2	0.065
41/2	0.028
72/2	0.028
127/2	0.009
40/3	0.074
72/3	0.028
127/3	0.009
129/1	0.084

(1)	(2)	(1)	(2)
129/2	0.130	151	0.105
129/3	0.021	155	0.045
129/6	0.021	174	0.121
153	0.091	177/1	0.049
129/4	0.021	177/2	0.049
129/7	0.021	177/3	0.049
129/5	0.028	178	0.064
129/8	0.021	191/1	0.056
126	0.012	188/1	0.251
124	0.018	116/1	0.004
123	0.016	119/1	0.006
121/1	0.004	292/1	0.097
121/2	0.004	292/3	0.051
120	0.011		योग : <u>03.060</u>
263/1	0.044		
121/3	0.004	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
121/4	0.004	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
118	0.006	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
119/2	0.004	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.
116/2	0.004		
119/3	0.005		
116/3	0.003		
119/4	0.004		
117	0.006		
116/4	0.004		
115/1	0.004		
115/2	0.004		
115/3	0.004		
115/4	0.004		
114	0.022		
113/2	0.004		
111	0.012		
264/1	0.150		
69	0.061		
265/1	0.130		
263/2	0.043		
70	0.075		
64	0.069		
66/1	0.036		
143/3	0.158		
148	0.071		
149/1	0.049		
149/2	0.049		
150/1	0.069		

क्र. 7890-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—पांडुर्णा

- (ग) नगर/ग्राम—गोरलीखापा, प.ह.नं.—105, ब. नं.—39, रा.नि. मंडल—नांदनवाड़ी.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.031 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.060
110/2	0.107
110/3	0.171
111	0.118
113	0.037
112	0.037
114/2	0.048
115/2	0.037
116/2	0.075
117/1	0.052
118/1	0.052
118/4	0.126
118/5	0.111

योग : 01.031

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बिछु आसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-पांडुर्णा, जिला छिंदवाड़ा में भी किया जा सकता है.

भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिंदवाड़ा
- (ख) तहसील—पांडुर्णा
- (ग) नगर/ग्राम—चाटवा, प.ह.नं.—23, ब.नं.—123, रा.नि. मंडल—नांदनवाड़ी.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.986 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
229/1	0.144
246/1	0.093
229/2	0.102
246/2	0.093
247	0.075
248/1	0.075
250/4	0.065
250/5	0.065
253/7	0.117
253/8	0.119
259/2	0.134
258/1	0.227
287/2	0.227
286/1	0.096
286/2	0.049
286/3	0.049
286/4	0.059
296/2	0.104
298	0.093

योग : 01.986

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—बिछु आसानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 7891-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	(1)	(2)
	9/2	0.405
	9/4	0.129
	9/6	1.214
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-पांडुर्णा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.	9/5	1.214
	12/1	0.270
	12/2	0.540
	12/3	0.540
	12/4	0.744
	12/5	0.360
	15	0.303
	31	1.052
	32	0.454
	35/1	0.202
	35/2	1.048
	73/3	0.032
	74/3	0.032
	35/3	1.000
	35/4	0.696
	35/5	0.607
	36/1	0.203
	38	0.202
	36/2	0.818
	37	0.352
	46/1	0.503
	70	0.303
	71	0.202
	73/1	0.032
	74/1	0.032
	73/2	0.032
	74/2	0.032

योग : 024.781

क्र. 7892-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिंदवाड़ा

(ख) तहसील—पांडुर्णा

(ग) नगर/ग्राम—धनौरा, प.ह.नं.—11, ब.नं.—201, रा.नि.

मंडल—नांदनवाड़ी.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—024.781 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.555
4	0.530
5	0.466
6	1.607
2/1	0.559
2/2	0.558
7/1	0.856
7/2	0.975
7/4	0.405
3	0.466
7/3	0.975
7/5	0.405
9/1	0.162
33	0.639
7/6	0.856
9/3	1.214

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—उत्तमडेरा जलाशय योजना के अंतर्गत बांध निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-पांडुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 7893-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—पांडुर्णा
 (ग) नगर/ग्राम—भाजीपानी, प.ह.नं.—15, ब.नं.—290
 रा.नि. मंडल—नांदनवाड़ी.
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.320 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नं.	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
66/2	0.055
66/4	0.037
66/5	0.222
66/9	0.089
77/4	0.096
115/1	0.170
115/2	0.081
115/3	0.107
142/4	0.055
142/6	0.019
142/8	0.072
142/9	0.033
143/6	0.022
144/1	0.078
144/2	0.055
144/3	0.047
144/4	0.013
149	0.369
154/1	0.184
140	0.180

(1)	(2)
142/1	0.115
142/2	0.048
142/5	0.037
142/7	0.035
142/10	0.009
143/2	0.046
143/7	0.046

योग : 02.320

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—भाजीपानी जलाशय योजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिंदवाड़ा) जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-पांडुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

प्र. क्र. 2-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
 (ख) तहसील—गैरतगंज

(ग) ग्राम—सलहपुर सूरबरू एवं किशनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.484 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	कुल रकबा (हेक्टे. में) (2)	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) (3)
ग्राम-सलहपुर सूरबरू		
31	1.934	0.300
32	0.975	0.200
92/31/3	1.983	0.306
92/31/4	1.983	0.900
92/31/5	2.023	0.480
92/31/1	2.023	0.200
92/31/2	1.612	0.200
33/2/1	0.166	0.050
33/2/2	0.166	0.050
33/2/3	0.166	0.050
33/2/4	0.166	0.050
33/3	5.261	0.450
ग्राम-किशनपुर		
226/1/4	1.900	0.950
226/10	1.283	0.280
226/1/6	1.899	0.120
226/1/2	2.051	0.280
226/1/3	2.023	0.800
226/15	1.278	0.240
226/16	0.688	0.300
226/13	1.278	0.278
कुल योग . .	<u>30.858</u>	<u>6.484</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बोरपानी सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

टीप.—भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, गैरतगंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—सिलवानी

(ग) ग्राम—सालाबरू
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.355 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	कुल रकबा (हेक्टे. में) (2)	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) (3)
97/1/1		
87/2/1	2.023	2.023
88/2/1		
87/3/1	0.607	0.607
89/2	0.316	0.316
88/4	0.372	0.372
63	1.546	1.000
64	0.579	0.579
65	0.571	0.571
62/2	1.619	1.619
88/6	0.672	0.672
87/3/2	2.379	0.500
66	1.096	1.096
कुल योग . .	<u>11.780</u>	<u>9.355</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—सालाबरू सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

टीप.—भूमि के नक्शे का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—गौहरगंज
(ग) ग्राम—खेरीटप्पा बड़वाई, चपलासिर, समनापुरकलां,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.610 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक (1)	कुल रकबा (हेक्टे. में) (2)	अर्जित रकबा (हेक्टे. में) (3)
ग्राम-खेरीटप्पा बड़वाई		
6	1.785	0.357
5	3.035	0.397

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12/1	1.214	0.283	94/2/1	1.060	0.049
13/2/1	0.507	0.057	94/1/2	0.161	0.028
13/1/2	0.396	0.061	94/2/2	0.942	0.125
13/1/3	0.607	0.178	ग्राम-समनापुरकलां		
14	0.837	0.121	70/2	0.450	0.081
18/2	4.193	0.364	70/3	0.695	0.040
15/3/2	0.918	0.194	72	0.186	0.012
15/3/1	2.428	0.028	376	2.000	0.101
			कुल योग . .	71.947	8.610
ग्राम-चपलासिर			(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—चपलासिर तालाब के स्पल चैनल मुख्य नहर एवं उपनहर के निर्माण हेतु.		
182	5.176	0.749	टीप.— भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.		
184/3/1	1.336	1.335	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
184/5	2.023	0.243	कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
187	1.935	0.016	धार, दिनांक 20 अक्टूबर 2011		
188/3	0.101	0.008	क्र. 10654-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		
189/1	0.809	0.105	अनुसूची		
189/2	1.214	0.158	(1) भूमि का वर्णन—		
189/5	0.809	0.049	(क) जिला—धार		
189/3	1.214	0.174	(ख) तहसील—कुक्षी		
189/4	1.619	0.125	(ग) ग्राम—कुक्षी		
189/6	0.809	0.073	(घ) लगभग क्षेत्रफल—16.585 हेक्टर.		
189/7	1.619	0.121	सर्वे अर्जन हेतु प्रस्तावित		
209	1.214	0.186	क्रमांक क्षेत्रफल		
217	5.455	0.316	(हेक्टर में)		
205/1	2.477	0.323	(1) (2)		
ग्राम-खैरीटप्पा बडबाई			(1) (2)		
1	3.193	0.174	356/8 0.322		
7/1	0.809	0.016	356/9 0.242		
7/2	1.910	0.073	357/5 0.069		
4/1	2.266	0.214	357/6/1 0.275		
12/2	0.311	0.016	357/7 0.074		
48/1	1.821	0.323	357/8 0.029		
54/1	0.506	0.049			
54/2/1	0.716	0.178			
54/2/2/1/1	0.093	0.040			
54/2/2/1/2	0.513	0.057			
49/3	1.416	0.162			
82/1	1.279	0.223			
82/2	1.011	0.020			
81/1	0.457	0.057			
81/2	0.696	0.089			
91/3	2.023	0.045			
91/4	2.023	0.243			
93	1.680	0.174			

(1)	(2)	(1)	(2)
358/1	0.739	520	0.051
364	0.659	535, 536	0.204
365/1, 369/7	0.643	537	0.229
365/3	0.050	564/1/1	0.103
365/2	0.025	164/1/2	0.103
366/1	0.273	564/2	0.365
366/2	0.050	564/3	0.022
385/2	0.007	564/4	0.034
385/3	0.151	564/5	0.032
386	0.626	564/6	0.152
390/8	0.031	570	0.091
406	0.087	572	0.093
407	0.571	574	0.047
408/1	0.041	575	0.602
440/1	0.545	581/1	0.946
440/2	0.275	581/2	0.389
440/3	0.294	594/4	0.024
440/4	0.361	594/5	0.010
444	0.197	594/8	0.377
466/1/1	0.056	599/2	0.724
449	0.353	599/3	0.019
466/1/2/1	0.261	600/1	0.912
466/1/2/2	0.003	472/1/7	0.014
466/2	0.013	472/1/8	0.016
472/1/2	0.209	519/2/1	0.051
472/1/3	0.042		
472/1/4	0.031		
472/1/5	0.011		
472/2/1	0.083		
472/2/2	0.448		
493/2	0.457		
494	0.497		
507/2/1/2	0.310		
507/2/1/3	0.093		
507/2/1/4	0.064		
507/3	0.063		
512	0.184		
515/1	0.236		
516/1	0.016		
517/1	0.015		
517/2	0.097		
518/1	0.042		
518/2	0.353		
519/1/1	0.164		
519/1/2	0.051		
519/2/2	0.187		
			योग . . . 16.585

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—झाबुआ, जोबट, बाग कुक्षी राजमार्ग क्रमांक 39 पर कुक्षी बायपास निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्षा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी जिला धार तथा संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड इंदौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुर्नवास
बाणसागर परियोजना, रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. 1724-भू-अर्जन-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के

पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) ग्राम—चोरमारी
(घ) क्षेत्रफल—3.134 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
939	0.12
940	0.66
951	0.045
954	0.010
956	0.252
957	0.020
958	0.220
959	0.020
960	0.020
961	0.240
962	0.016
967	0.045
971	0.18
972	0.18
973	0.01
974	0.01
976	0.36
977	0.036
979	0.24
980	0.21
981	0.03
982	0.15
2148	0.06
योग . .	<u>3.134</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है. —बाणसागर परियोजना पुरवा नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2011

प्र. क्र.-5-एल. ए.-अ-82-10-11-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—गोंदरमऊ, कानासैया, पिपलिया जाहिरपीर, इमलिया, पुरामनभावन, लाम्बाखेड़ा, अरवलिया, विशानखेड़ी, कुराना, भौंरी, बकानिया, सूखी सेवनिया.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.981 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में.)
(1)	(2)
ग्राम-गोंदरमऊ	
14/2	0.340
12/1	0.012
कुल . .	<u>0.352</u>
ग्राम-कानासैया	
1166/3 में से	1.040
1182	0.060
कुल . .	<u>1.100</u>
ग्राम-पिपलिया जाहिरपीर	
136/1	0.400
कुल . .	<u>0.400</u>
ग्राम-इमलिया	
371/3/2/2	0.607
371/3/2/5	0.257
371/3/2/6	0.217
217/2/1	0.260
243/1/1	0.090
369/2/1क-1	0.520
कुल . .	<u>1.951</u>

(1)	(2)
ग्राम-पुरामनभावन	
97/2	0.180
99/1	0.020
101/1	0.010
152/4	0.250
कुल . .	<u>0.460</u>
ग्राम-लाम्बाखेड़ा	
22	0.280
23/2	
कुल . .	<u>0.280</u>
ग्राम-अरवलिया	
<u>338, 340, 343</u>	0.100
2	
<u>338, 340, 343</u>	0.010
4	
<u>338, 340, 343</u>	0.080
7	
<u>338, 340, 343</u>	0.040
10	
217/1	0.050
217/2	0.030
कुल . .	<u>0.310</u>
ग्राम-बिशनखेड़ी	
37	0.010
42	0.030
कुल . .	<u>0.040</u>
ग्राम-कुराना	
258/3/2	0.605
258/2	0.263
<u>259, 260/1, 261</u>	0.405
1/1/2	
<u>259, 260/1, 261</u>	0.485
1/2	
254/2	0.600
कुल . .	<u>2.358</u>
ग्राम-भौरी	
279/1	0.360
कुल . .	<u>0.360</u>
ग्राम-बकानिया	
1387	0.140
कुल . .	<u>0.140</u>

(1) (2)

ग्राम-सूखी सेवनिया

517/2	0.230
कुल . .	<u>0.230</u>
महायोग . .	<u>7.981</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.—भोपाल बाँयपास चार लेन परियोजना (सड़क निर्माण) हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील (हुजूर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 28 अक्टूबर 2011

क्र. 1462-भू-अर्जन-देपालपुर-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—देपालपुर
(ग) नगर/ग्राम—सलमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—82.776 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे में) (2)
362/2	2.104
363/4	0.081
363/5	0.264
364	0.930
365	2.715
366/4	2.548
366/3	0.190
366/1	2.547

(1)	(2)
366/2	4.022
367	4.541
342, 341/1	7.175
349/1	4.148
339	1.105
369/372	0.344
369/3	0.506
369/2	6.070
368/4	5.241
368/5	4.371
369/1/4	0.303
369/1/5	0.870
369/1/4/2	0.506
369/1/2	0.405
368/6	4.249
368/3	8.175
368/2	4.249
329/11	0.506
329/9	0.607
329/3	0.259
329/4	0.684
329/5	0.121
329/1/2/2ग	0.675
329/1/2/2ख	0.674
329/1/2/2क	0.674
329/1/1/2	1.265
329/8	0.303
340/3	0.607
329/1/2/4	1.060
388/2	0.813
337	0.101
341/2	0.728
349/2	0.789
351	0.368
348/2	0.032
350	1.416
352	0.324
353/3	0.057
362/3	2.044
353/2	0.610
362/1	0.400
योग . .	<u>82.776</u>

क्र. 1464-भू-अर्जन-देपालपुर-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर

(ख) तहसील—देपालपुर

(ग) नगर/ग्राम—अम्बापुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—64.147 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे में) (2)
2	6.534
2/49	0.680
4/1	1.964
4/2	9.728
5	0.640
6	4.776
7	4.521
9/1	7.600
9/2	0.486
11	9.728
12/1	0.291
12/2	0.551
13/1	10.214
13/2	2.618
13/3	0.486
23	1.044
24/1	0.856
24/2	0.621
25	0.809
योग . .	<u>64.147</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—नवीन बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1466-भू-अर्जन-देपालपुर-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		(1)	(2)
		188/2	1.753
		189/2	2.573
		185/4	1.291
		187/1	0.604
		188/4	0.032
		189/3	1.084
		185/3	0.829
		185/5	0.061
		188/1	0.057
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—इन्दौर		189/1	0.453
(ख) तहसील—देपालपुर		187/2	0.337
(ग) नगर/ग्राम—रणमलबिल्लौद		188/3	0.113
(घ) लगभग क्षेत्रफल—223.448 हेक्टर.		188/6	1.392
		189/4	3.056
खसरा	रकबा	188/7	0.510
नम्बर	(हे. में)	189/5	0.837
(1)	(2)	191/1	1.822
82/2	1.720	190	0.849
254/2	0.174	191/2	1.822
83/1	1.586	192	1.740
83/2	1.267	193	0.898
84	3.476	230/2	0.304
85/1	1.995	231/7	0.081
85/2	1.995	232/3	0.028
86	2.833	233/3	0.291
87	1.133	233/5	0.526
88	3.714	234/3	0.081
89/1	2.322	261/7	1.036
183/1	0.987	194/1	0.314
183/2	0.352	194/2	1.072
183/3	0.352	255/11	0.890
183/4	0.348	255/20	1.133
184/1	0.441	257/10	0.405
255/2/1	1.264	194/4	0.890
184/2	0.441	194/3	0.759
255/3/2	1.263	195/1	0.486
185/2	0.334	232/2	1.024
185/7	0.075	234/5	0.020
185/6	0.408	196	1.343
186/2	0.300	197	3.156
186/3	0.300	198	5.889
186/4	0.400	195/2	0.485
255/23	0.100	199/1	1.816
185/1	0.817	201/2	0.846
187/3	1.012	231/4	0.695

(1)	(2)	(1)	(2)
232/1	0.332	252/2	1.250
234/1	0.020	261/8	0.405
201/1	0.587	262/3	0.639
200/1	0.756	229/2	0.369
201/3	0.259	230/1	0.101
200/3	0.757	231/3	0.041
199/2	1.619	231/6	0.093
200/2	0.757	233/2	0.295
202	0.931	234/2	0.061
203/1	3.496	252/1	1.251
203/3	0.759	261/4	1.035
203/2	3.385	235	0.057
204/1	1.157	255/1/3	0.012
204/2	0.821	236	0.057
204/3	0.825	238	0.032
205/1/4	0.040	257/1/4	0.012
206	2.161	239	0.049
205/4	0.129	243	0.040
205/5	0.162	241	0.044
205/6	0.238	242	0.056
255/22	0.100	245/1	0.036
221	4.016	253/1	1.608
231/2	0.231	245/2	0.037
231/8	0.041	253/2	1.608
233/4	1.357	246	0.405
234/4	1.153	249	0.409
247	0.162	250	0.745
248	1.181	254/3	0.500
251	0.914	254/4	0.500
258	2.135	255/1/1	0.230
222/2	1.821	261/2	1.241
222/3	0.437	261/12	1.240
222/4	0.704	262/2	0.318
222/5	0.405	262/4	0.318
255/6	0.100	255/1/1/2	0.231
222/6	0.500	255/2/2	0.243
227	3.043	259	0.959
228/1	1.521	260/2	0.486
228/2	0.761	260/1	0.729
228/3	0.761	255/1/2/3	2.023
229/1	0.137	255/8	0.020
231/1	0.466	255/3/3	1.265
231/5	0.263	255/4	1.476
233	0.263	255/5	0.243

(1)	(2)	(1)	(2)
255/7	0.243	261/3/1	0.234
255/9	0.224	261/3/2	1.655
255/10	0.425	261/3/3	0.219
255/12	1.415	261/3/4	0.219
255/13	2.023	263/2	1.785
267/4	1.112	263/3	0.446
255/16	0.263	264/3	0.664
267/5	1.071	264/4	0.664
255/17	0.243	265/2	0.894
267/6	1.052	265/4	0.894
255/18	0.243	266/1	1.426
267/7	1.091	266/2	1.202
255/19	0.243	267/1/2	0.675
267/8	1.031	267/3	1.619
255/14	2.023	267/9	1.348
255/15	0.323	267/2	0.864
255/21	2.023	267/10	1.633
255/24	0.600	योग . . .	223.448
255/25	0.600	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नवीन	
255/26	0.600	बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु.	
256/1	0.297	(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,	
256/2	0.297	तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा	
256/3	0.297	सकता है.	
256/4	0.297	क्र. 1468-भू-अर्जन-देपालपुर-11.—चूँकि, राज्य शासन को इस	
256/5	0.297	बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित	
257/3	0.271	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन	
257/4	1.052	के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक	
257/5	0.165	एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित	
257/6	2.023	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए	
257/9	2.023	आवश्यकता है:—	
261/1	2.529	अनुसूची	
261/5	4.046	(1) भूमि का वर्णन—	
261/6	2.833	(क) जिला—इन्दौर	
261/10	3.541	(ख) तहसील—देपालपुर	
261/11	2.529	(ग) नगर/ग्राम—कालीबिल्लौद	
261/13	1.012	(घ) लगभग क्षेत्रफल—434.259 हेक्टर.	
262/1	20.234	खसरा	रकबा
263/1	0.447	नम्बर	(हे में)
263/4	0.446	(1)	(2)
263/5	0.446	1/1	0.454
264/1	0.664	1/2	0.454
264/2	0.667		
265/1	0.894		
265/3	0.894		

(1)	(2)	(1)	(2)
3/3	0.640	11/3	0.575
1/3	0.454	13/3	0.678
1/4	0.454	12	0.947
2/1	0.498	13/2	0.678
2/2	0.502	14/1	1.619
3/1	1.149	17	0.041
2/3	0.744	14/2	0.789
2/4	0.255	15	0.624
31/3	0.688	16	0.178
3/2	0.506	18	1.278
3/6	0.006	19	0.267
3/4	0.506	20	1.096
3/5	0.639	21/1	0.761
4/1	2.376	22/1	1.202
25/5	1.563	21/2	0.757
100/2	0.065	25/4	0.760
223/5	0.080	21/3	0.757
4/2	2.376	87	0.882
223/1	0.081	96	0.829
5/1	1.454	98/1	0.656
5/2	1.684	98/4	0.146
5/4	0.230	95/279	0.506
6/1	1.824	22	2.533
6/2	1.621	59/1	3.715
6/3	0.756	23/1	0.692
30/5	0.555	23/2	0.769
6/4	0.253	24/1	1.983
6/5	0.253	24/3	0.871
8/1	0.291	24/2	1.265
9	2.574	56	3.824
98/2	0.145	77/1	2.991
8/2	0.206	78/1	2.897
94	1.416	79/1	0.387
98/3	0.085	25/1	4.913
10/1	0.400	28	1.197
10/2	0.506	207/2	3.269
81/2	0.688	223/4	0.340
11/1	1.214	25/2	2.691
13/1	1.356	30/1	1.291
11/2	1.214	155/2	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
223/3	0.340	37/2	0.729
25/3	1.566	37/1/3	0.474
26	0.890	37/3	0.486
108	0.918	39	0.615
109	0.182	41/1	0.696
29/1	1.266	42/1	1.109
30/2	0.829	41/2	1.052
223/2	0.445	42/2	0.932
30/3	0.557	46/1	8.660
30/4	0.555	46/3	5.058
86/1	1.256	46/4	5.058
165/3	0.037	46/5	4.047
31/1	0.684	47/2	0.014
31/2	0.684	47/1	0.622
33	4.120	174/4	0.506
34/1	1.263	49/1	0.510
34/2	2.853	49/4	0.700
34/3	0.910	49/2	1.214
34/4	0.356	49/3	1.139
35/1	0.644	61/2	1.324
35/2	0.826	62/1	0.918
35/3	0.092	49/5	1.139
35/4	0.644	60	1.747
35/9	0.393	61/1	0.421
38/1	0.686	62/5	0.069
35/5	0.644	50/2	3.035
37/1/4	0.474	52	2.242
38/2	1.079	54	1.505
35/6	0.785	53/1	2.661
40/2	0.939	53/2	2.662
35/7	0.785	53/3	2.815
35/10	0.253	57	3.100
37/1/2	0.474	58/1	1.769
40/1	0.939	58/2	9.705
35/8	0.785	208/2	3.508
40/3	0.939	58/4	3.719
36/1	0.769	62/2	2.529
36/2	1.457	62/4	0.506
36/3	0.769	68	0.934
37/1/1	0.474	69	1.485

(1)	(2)	(1)	(2)
62/3	1.055	170/6	0.023
185	1.701	93/1	1.052
187	2.120	101/2	0.377
63	1.262	93/1	1.096
66/1	0.259	101/3	0.331
66/2	0.171	93/3	0.782
66/5	0.171	101/4	0.649
66/6	0.172	93/4	1.186
66/3	0.171	101/5	0.242
66/7	0.171	95	0.368
66/8	0.172	99/1	1.214
66/4	0.036	99/2	1.214
66/9	0.152	99/3	0.077
70	1.878	99/4	0.494
72/1	0.477	99/5	0.505
72/2	0.377	99/6	0.547
72/3	0.253	99/7	0.214
73	1.352	100/1	0.065
74	1.263	101/1	1.598
75/1	1.391	149/1	1.141
75/2	0.761	152/1	0.069
76/1	0.049	222/2	0.146
76/2	0.756	225/2	0.129
97	1.267	149/2	1.141
76/3	1.076	150/2	0.069
76/4	1.080	222/1	0.145
80	0.975	225/1	0.130
86/2	1.012	218/2	0.022
89/2	0.509	219/2	0.435
89/7	0.508	226/2	0.372
89/8	0.509	152/1	0.454
89/3	0.022	152/2	1.130
89/4	0.046	153	0.676
170/5	0.230	157/2	0.049
89/5	0.022	155/1	0.032
89/6	0.044	156/1	0.356
89/9	0.506	156/2	0.405
89/10	0.506	157/1	0.784
89/11	1.595	161/3	0.469
170/1	0.260	161/1	0.125

(1)	(2)	(1)	(2)
161/2	0.255	220/2/2	0.049
164/1	2.063	244	0.049
165/1	0.344	220/3	0.053
165/2	0.348	243/1	0.040
164/2	2.067	243/2	0.041
165/4	0.311	220/4	0.032
170/7	0.028	245	0.041
172/1	2.574	246/3	0.024
172/3	1.214	221/1	1.619
174/1	1.260	222/2	5.924
185	1.701	221/3	1.821
186/1	1.429	221/4	1.145
186/2	0.587	221/5	1.141
186/3	0.587	221/6	1.062
186/4	0.254	221/8	0.279
188/1	1.769	221/7	0.759
195/6	1.165	226/1	0.506
194	3.532	229/1	1.197
202	5.731	229/2	2.004
227	0.421	221	0.607
195/1	2.225	233/1/4	0.121
195/4	0.101	233/3	0.032
195/5	1.161	233/5	0.041
195/7	0.380	233/6	0.008
195/8	0.379	235	0.348
201	3.642	246/1/1/3	0.081
207/1	3.298	233/4	0.016
207/3	3.298	241	0.041
207/4	3.318	239	0.049
208/1	3.508	240/2	0.036
209	4.679	234	0.061
210	2.707	236	0.085
211	2.403	237	0.162
213	1.747	238	0.113
214	6.191	242	0.073
215	1.227	246/4	0.121
216	1.424	246/5	0.202
217	3.362	246/6	0.170
224	0.458	246/7	0.081
220/2/1	0.053	246/8	0.267

(1)	(2)	(1)	(2)
246/9	0.100	267/1/1/1	7.792
246/10	0.012	267/2	0.324
246/16	0.247	267/9	0.850
246/17	0.202	267/12	0.566
246/11	0.364	267/1/2	9.205
246/12	0.049	267/3	0.822
246/13	0.081	267/1/3	8.200
249/4	0.405	267/4	0.849
246/14	0.383	267/5	0.849
246/18	0.081	267/6	0.809
246/19	0.526	267/7	0.510
246/20	0.405	267/8	0.624
246/22	0.012	267/10	1.028
246/23	0.271	267/11	0.956
276/3	0.041	267/27	1.627
246/21	0.162	274	1.643
276/4	0.178	276/5	0.089
247	1.923	276/6	0.121
248/1	3.828	195/2	2.322
248/2	0.405	195/9	0.784
249/1	5.998	195/3	0.783
249/2	2.898	197/1	2.876
249/3	2.699	197/2	5.060
250/1	1.854	166	2.473
250/3	2.529	167/1	0.007
251/1	0.507	171	1.263
251/6	0.507	167/3	0.028
251/2	0.810	167/2	0.126
251/4	0.809	167/4	0.014
251/3	0.506	167/5	0.028
251/5	0.507	197	2.876
252/2	0.304	योग .	<u>.434.259</u>
253/3	0.652		
253	1.233	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—नवीन	
254/1	1.266	बेटमा-पीथमपुर इण्डस्ट्रीयल कलस्टर निर्माण हेतु,	
254/2	1.544	(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी,	
254/3	0.712	तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा	
255/1	0.615	सकता है.	
254/4	0.555	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
255/5	0.364	राघवेन्द्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	
256	0.983		

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. 1-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—जतारा
(ग) ग्राम—लारखुर्द, पटवारी हल्का नम्बर—48
(घ) क्षेत्रफल—0.530 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हे. में) (2)
161/1	0.101
161/2	0.004
21	0.425
योग . .	<u>0.530</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—लार-जरूवा मार्ग पर उर नदी पुल निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा और कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 29 अक्टूबर 2011

क्र. क-प्र.भू-अर्जन-19-अ-82-वर्ष-10-11-8938.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई

अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—अशासकीय भूमि का अर्जन

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—परसोरिया/रंगोली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.612 हेक्टर.

खसरा नम्बर में से (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
58	0.02
57/1	0.04
60	0.04
74/1	0.04
102	0.03
103	0.03
107	0.08
162	0.01
163	0.01
164	0.10
166	0.02
167	0.01
168/2	0.01
272/2	0.01
277/1	0.005
277/2	0.006
277/3	0.008
277/4	0.009
277/5	0.008

277/6	0.018
277/7	0.008
277/8	0.01
278/9	0.02
279/10	0.06
278	0.01
योग . .	<u>0.612</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.—बी. ओ. टी. योजनान्तर्गत सागर-दमोह मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु आवश्यकता है. संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डेव्हलपमेंट कांफ़रेंशन लि. सागर (म. प्र.).
- (3) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. (क) भू-अर्जन-2011-8940.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—मालथौन

(ग) ग्राम—खरैरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.22 हेक्टर.

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
8	0.05
12	0.07
15/1	0.10
योग . .	<u>0.22</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई में देखा जा सकता है.

क्र. (क) प्र. भू-अर्जन-2011-8944.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—खुरई

(ग) ग्राम—खिमलासा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.032 है. (334 वर्गमीटर).

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (हे में)
------------	--------------------

(1)	(2)
-----	-----

789	30 वर्गमीटर
-----	-------------

790	30 वर्गमीटर
-----	-------------

875	188 वर्गमीटर
-----	--------------

877/1

877/2

723	9 वर्गमीटर
-----	------------

722	69 वर्गमीटर
-----	-------------

711	8 वर्गमीटर
-----	------------

योग . .	<u>334 वर्गमीटर (0.032 है.)</u>
---------	---------------------------------

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बीना-खिमलासा-मालथौन मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खुरई में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2011

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-क्यू-1-11-12-319.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु श्री दुर्गा खाण्डसारी (शुगर) मिल्स मेंदराना, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	बड़वानी/पानसेमल	फेक्ट्री गेट	21	556.80
			योग :	556.80

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

Shree Durga Khandsari Sugar Mills, Mendrana, Dist: Barwani: (M.P.)

2011-12

Village Name & Sugarcane Area Under Pansemal Tahasil

Villagewise List of area under Sugarcane plantation

Sr. No. (1)	Village Name (2)	Cane Location (3)	Sugarcane Area	
			(Acre) (4)	(Hector) (5)
1	Jalgone	Factory Gate	79.50	31.80
2	Gongwada	Factory Gate	38.00	15.20
3	Bhamrata	Factory Gate	27.00	10.80
4	Temala	Factory Gate	10.00	4.00
5	Jahur	Factory Gate	31.00	12.40
6	Melan	Factory Gate	88.50	35.40
7	Mendrana	Factory Gate	71.50	28.60
8	kansul	Factory Gate	53.00	21.20
9	Amada	Factory Gate	99.50	39.80
10	Junapani	Factory Gate	135.00	54.00
11	Bhaski	Factory Gate	142.50	57.00
12	Lakhi	Factory Gate	8.00	3.20
13	Bediya	Factory Gate	267.00	106.80
14	Khetia	Factory Gate	99.00	39.60
15	Bhadgone/Dudhi	Factory Gate	95.00	38.00
16	Nisarapur	Factory Gate	89.50	35.80
17	Malfa	Factory Gate	43.00	17.20
18	Mortalai	Factory Gate	6.00	2.40
19	Chunabhatti	Factory Gate	3.00	1.20
20	Khadaki	Factory Gate	2.00	0.80
21	Piprani	Factory Gate	4.00	1.60
Total :			1392.00	556.80

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.- -11-12-330.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायणपुरा (राघौगढ़) जिला गुना मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)	जिला (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	गुना	आवन	18	128.000
2	गुना	राघौगढ़	15	52.800
3	गुना	रूठियाई	18	205.800
4	गुना	मधूसूदनगढ़	23	45.400
5	गुना	बीनागंज	34	46.100
6	गुना	गुना	32	162.100
7	गुना	म्याना	07	16.400
8	गुना	झागर	15	11.200
9	गुना	बरखेड़ाहाट	11	19.600
10	गुना	रामपुर (आरोन)	16	37.000
11	अशोकनगर	अशोकनगर	18	112.600
12	अशोकनगर	सिकन्दरा	19	122.200
13	अशोकनगर	तारई	09	48.800
14	अशोकनगर	शाढोरा	15	72.000
15	अशोकनगर	ईसागढ़	27	194.800
16	अशोकनगर	सारसखेड़ी	19	70.600
17	अशोकनगर	अचलगढ़	16	170.500
18	अशोकनगर	चंदेरी	10	47.500
19	अशोकनगर	बहादुरपुर	22	92.800
20	विदिशा	सिरोज	29	243.000
21	शिवपुरी	कोलारस	33	76.200
22	सीहोर	सीहोर	185	1725.700
23	उज्जैन	महिदपुर	03	14.500
24	मुरैना	विजयपुर	24	114.400
25	मुरैना	पहाड़गढ़	31	121.000
26	मुरैना	जौरा	31	53.400
27	मुरैना	सबलगढ़	27	192.000
28	मुरैना	कैलारस	21	74.440
29	मुरैना	(कारखाना गेट) कैलारस	20	135.700
योग :			748	4406.540

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डॉ. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.

नारायणपुरा (राघौगढ़) जिला गुना (म.प्र.)

क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2011-12

केन्द्र— आवन, जिला गुना

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टेयर में)	जड़ी (हेक्टेयर में)	कुल योग (हेक्टेयर में)	दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रामपुरा	1	0.000	1.600	1.600	8
2	गावरी	4	0.000	4.400	4.400	7
3	पीपल्या	2	1.200	1.000	2.200	10
4	दीतलवाड़ा	22	9.700	10.300	20.000	11
5	मोहम्मदपुर	4	0.000	5.800	5.800	7
6	सुन्दरखेडी	12	2.800	5.800	8.600	5
7	पार्वती चौकी	1	0.000	1.200	1.200	6
8	सरांय	5	0.200	2.400	2.600	5
9	प्रेमगढ़	20	0.800	12.700	13.500	7
10	पारकना	37	5.800	24.200	30.000	8
11	बैराखेडी	12	3.800	11.800	15.600	4
12	बरखेडी महाराजा	6	2.600	1.600	4.200	5
13	सारसहेला	2	2.200	1.400	3.600	6
14	आवन	6	1.200	3.400	4.600	7
15	गोविन्दपुरा	5	1.700	2.200	3.900	5
16	नारायणपुरा	1	0.000	3.000	3.000	1
17	सांकोन्या	2	1.400	0.400	1.800	3
18	नीमखेडी	2	1.400	0.000	1.400	7
योग . .		144	34.80	93.20	128.00	

केन्द्र— राघौगढ़, जिला गुना

1	कदैया फार्म	1	0.000	2.500	2.500	25
2	सांवतखेडी	2	0.600	0.000	0.600	14
3	मेरखेडी	6	2.000	7.600	9.600	10
4	राजपुरा	2	0.000	1.000	1.000	10
5	रामनगर	2	0.000	0.500	0.500	15
6	खजूरी	1	0.000	1.000	1.000	20
7	मोतीपुरा	15	2.800	11.000	13.800	18
8	फेकरा	2	0.000	0.700	0.700	22
9	सुआखेडी	10	1.600	3.800	5.400	22
10	राघौगढ़	6	0.200	6.000	6.200	20
11	नांदेर	1	0.000	1.000	1.000	30
12	अहमदापुर	1	0.000	0.300	0.300	25
13	गाडरवारा	1	1.400	0.000	1.400	15
14	पीलाघाटा	2	5.400	0.800	6.200	20
15	बरैयाखेडा	3	1.000	1.600	2.600	20
योग . .		55	15.000	37.800	52.800	

केन्द्र —रूठियाई, जिला गुना

1	दावतपुरा	2	0.300	1.200	1.500	30
2	भुलाय	101	35.500	86.400	121.900	38
3	लाडपुरा	2	0.600	0.000	0.600	22
4	पगारा	1	0.000	1.000	1.000	20
5	शंखपुर	1	0.000	2.000	2.000	35
6	रानीपुरा	2	0.000	2.000	2.000	25
7	रूठियाई	5	1.000	11.400	12.400	22
8	डोंगर	2	0.400	0.200	0.600	20
9	विजयपुर	3	0.400	2.600	3.000	21
10	कोटरा	3	0.000	4.200	4.200	35
11	पाडरखेडी	2	0.200	4.000	4.200	17
12	बालाभेंट	8	1.000	5.800	6.800	35
13	धरनावदा	1	0.400	0.000	0.400	35
14	भेंरोपुरा	5	1.400	1.800	3.200	40
15	सनोतिया	2	0.400	0.800	1.200	35
16	सरवरपुर	2	1.000	0.200	1.200	40
17	बमूरिया	5	1.000	4.800	5.800	40
18	उदयपुरी	38	13.600	20.200	33.800	35
योग . .		185	57.200	148.600	205.800	

केन्द्र —मधुसूदनगढ़, जिला गुना

1	गणेशपुरा	5	2.600	1.800	4.400	22
2	पीपलखेडी	6	2.000	2.000	4.000	16
3	धीनाखेडी	1	0.000	0.400	0.400	34
4	किशनगढ़	1	0.000	1.000	1.000	22
5	जामनेर	2	0.000	0.600	0.600	25
6	दौलतपुरा	1	1.200	0.000	1.200	23
7	किशनखेडी	3	0.000	1.400	1.400	35
8	शंकरपुरा	2	0.000	1.000	1.000	40
9	परेवा	8	1.800	3.200	5.000	23
10	टोडरा	3	0.400	1.000	1.400	22
11	मेरुखेडी	1	2.000	0.400	2.400	35
12	एमनाखेडी	1	0.000	0.600	0.600	50
13	नागनखेडी	1	0.000	1.600	1.600	54
14	सालोटा	21	5.000	11.200	16.200	18
15	बीलखेडा	2	0.000	0.600	0.600	50
16	केदारपुरा	1	0.000	1.000	1.000	45
17	धपरयाई	1	0.000	0.200	0.200	50
18	कुंडाई मारु	1	0.000	0.400	0.400	35
19	मधुसूदनगढ़	1	0.000	0.400	0.400	40
20	तोरई	1	0.000	0.400	0.400	45
21	शंकरपुरा (उकावद)	1	0.000	0.200	0.200	62
22	नालाझिरी	3	0.000	0.600	0.600	75
23	गादेर	1	0.000	0.400	0.400	32
योग . .		68	15.000	30.400	45.400	

केन्द्र — बीनागंज, जिला गुना

1	सागर	3	0.000	5.500	5.500	27
2	अरन्या	1	0.000	0.400	0.400	27
3	रमडी	1	0.000	0.200	0.200	19
4	लहरचा	1	0.000	0.500	0.500	25
5	नारायणपुरा	10	1.800	0.500	2.300	34
6	लाछौनी	1	1.000	0.000	1.000	32
7	पीपल्या नज कोटरा	4	0.400	0.400	0.800	38
8	भैसुआ	1	0.000	0.400	0.400	35
9	रामटेरी	2	0.000	1.600	1.600	32
10	हिंगोनी	1	0.400	0.100	0.500	42
11	कोन्याकलां	2	0.400	0.100	0.500	35
12	तेलीगांव	4	0.200	0.800	1.000	40
13	बनेट	2	0.000	2.200	2.200	25
14	नैनवास	2	0.400	0.400	0.800	42
15	बटावदा	1	0.200	0.200	0.400	41
16	खटकिया	3	0.000	1.000	1.000	8
17	देहरी	1	0.000	0.400	0.400	40
18	सांकाखुर्द	2	0.000	0.200	0.200	19
19	ऊपरी	6	2.000	3.200	5.200	14
20	चकऊपरी	9	4.500	1.400	5.900	16
21	मानपुरिया	1	0.000	0.400	0.400	14
22	केशोपुरा	2	0.100	0.300	0.400	30
23	कानाखेडी	2	2.400	0.200	2.600	18
24	कुरवाई	3	0.800	0.800	1.600	24
25	तुलसीखेडी	1	0.000	0.500	0.500	22
26	मानकचौक	1	0.000	0.800	0.800	16
27	मृगवास	8	0.700	0.900	1.600	38
28	पटनाखेडी	1	0.800	0.200	1.000	37
29	भूमलाखेडी	3	0.000	0.400	0.400	36
30	सांकाकला	3	3.800	0.000	3.800	21
31	गोरयाखेडा	1	0.600	0.000	0.600	24
32	गुलवाडा	2	0.200	0.600	0.800	29
33	पीपल्या मोती	4	0.400	0.200	0.600	45
34	झींकनी	1	0.000	0.200	0.200	48
	योग	90	21.100	25.000	46.100	

केन्द्र — गुना, जिला गुना

1	सिंगवासा	2	3.000	5.000	8.000	45
2	मावन	1	0.400	2.000	2.400	52
3	पिपरौदा कला	2	1.000	4.500	5.500	53
4	पीतमपुर	6	9.400	13.000	22.400	56
5	देवरीमार	4	0.800	0.100	0.900	65
6	कोलुआमार	3	0.400	0.800	1.200	66
7	कुशमौदा	1	0.000	1.400	1.400	41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	हिलगना	1	0.000	4.000	4.000	41
9	माधौपुर	1	0.000	0.500	0.500	51
10	नयागांव	2	0.200	0.500	0.700	52
11	ढोलवाज	1	0.000	0.100	0.100	52
12	बरादियाखुर्द	23	5.300	6.800	12.100	53
13	नेगमा	7	0.500	1.000	1.500	51
14	हनुमतपुरा	3	1.200	0.200	1.400	58
15	पाटई	2	2.000	5.200	7.200	55
16	तिल्लीखेडा	30	1.800	6.400	8.200	64
17	कमलापुर सरखण्डी	17	24.300	24.600	48.900	60
18	माहौर	4	0.000	1.300	1.300	64
19	भिडरा	7	0.500	0.900	1.400	65
20	मोहनपुर	2	0.000	1.300	1.300	67
21	गोपालपुरा	1	0.000	1.000	1.000	58
22	मुहालपुर	13	2.200	1.300	3.500	47
23	विनायकखेड़ी	3	0.000	1.300	1.300	47
24	नोहर	5	0.900	2.200	3.100	60
25	छिपाने चक्क	3	1.200	2.300	3.500	58
26	सरखो	9	4.800	1.600	6.400	62
27	रसूलपुर	3	0.100	1.000	1.100	62
28	बरखेड़ा गिर्द	10	1.000	3.000	4.000	58
29	लोहपाल	2	0.000	0.300	0.300	62
30	परसौदा	23	1.100	5.300	6.400	63
31	सिरसी खुर्द	2	0.000	0.400	0.400	62
32	गेहूँखेड़ा गिर्द	3	0.000	0.700	0.700	56
	योग . .	196	62.100	100.000	162.100	

केन्द्र — म्याना, जिला गुना

1	धमनार	1	0.400	1.200	1.600	62
2	गाजीपुर	1	0.300	0.000	0.300	75
3	खुट्ट्यावद	2	1.000	0.600	1.600	63
4	डुंगासरा	5	4.800	1.500	6.300	69
5	अजलेश्वर	2	2.800	1.000	3.800	104
6	बल्लापुर	2	0.000	0.400	0.400	60
7	सगोरिया	7	0.700	1.700	2.400	71
	योग . .	20	10.000	6.400	16.400	

केन्द्र — झागर, जिला गुना

1	बैरखेड़ी	3	0.400	0.300	0.700	59
2	मुरादपुर	3	0.000	1.300	1.300	65
3	शेखपुर	2	0.600	0.600	1.200	63
4	धाननखेड़ी	1	0.000	0.400	0.400	67
5	परवाह	2	0.300	0.200	0.500	76
6	बनेह	2	0.500	0.100	0.600	71
7	सामरसिंगा	1	0.000	0.200	0.200	65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	पीरूखेड़ी	1	0.000	0.500	0.500	74
9	टूमेला	1	0.000	0.300	0.300	60
10	मछरया*	5	1.400	0.800	2.200	55
11	कराखेड़ा	1	0.400	0.400	0.800	60
12	मगरोडा	1	0.000	0.200	0.200	55
13	गणेशपुरा	1	0.500	0.000	0.500	92
14	मानपुर	1	0.000	0.800	0.800	118
15	कालोनी	1	0.000	1.000	1.000	82
योग . .		26	4.100	7.100	11.200	

केन्द्र — बरखेडाहाट, जिला गुना

1	भादौर	1	0.200	0.000	0.200	64
2	बरखेडाहाट	5	0.500	0.600	1.100	55
3	पडरियाई	1	0.000	0.700	0.700	34
4	सेमराखुर्द	8	0.800	3.000	3.800	65
5	आरोन	8	1.900	7.300	9.200	42
6	नठाई	2	0.000	0.500	0.500	83
7	भूतमण्डी	3	0.000	0.400	0.400	71
8	देहरीखुर्द	1	0.000	0.500	0.500	83
9	कुशमान	1	0.000	1.000	1.000	52
10	बारोद	1	0.000	0.100	0.100	55
11	सिरसी	2	1.400	0.700	2.100	52
योग . .		33	4.800	14.800	19.600	

केन्द्र — रामपुर, जिला गुना

1	मातामूडरा	2	0.000	0.300	0.300	62
2	हिनोतिया	1	0.000	0.200	0.200	66
3	रहीमपुर	8	0.400	2.500	2.900	60
4	बंदीपुर	2	0.000	1.100	1.100	65
5	मोहनखेड़ी	1	0.000	0.800	0.800	70
6	करईखेड़ा	6	2.400	0.700	3.100	61
7	रायपुर	5	0.000	0.800	0.800	61
8	रामपुर	2	0.000	0.600	0.600	58
9	बकान	3	0.900	0.600	1.500	54
10	परासरी	2	1.000	1.100	2.100	57
11	हुसैनपुर	17	1.100	14.700	15.800	81
12	कोलुआ	2	0.000	1.000	1.000	115
13	शाह पिपरिया	2	1.000	2.800	3.800	90
14	शालेय	2	0.000	1.100	1.100	56
15	कुन्दौली	2	0.000	1.000	1.000	102
16	हापाखेड़ी	3	0.200	0.700	0.900	74
योग . .		60	7.000	30.000	37.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केन्द्र — अशोकनगर, जिला अशोकनगर						
1	अशोकनगर	1	0.000	0.600	0.600	88
2	उमरिया माफी	1	2.000	2.000	4.000	101
3	कजराई	5	11.000	10.600	21.600	103
4	कुन्दौली	3	2.000	1.600	3.600	102
5	खड़ीचरा	9	9.600	12.800	22.400	101
6	नानकपुर	2	0.000	2.600	2.600	106
7	पिपनावदा	4	0.000	2.200	2.200	96
8	पंवारगढ़	3	0.400	2.400	2.800	92
9	बामौरी भीमा	6	4.200	5.600	9.800	98
10	बरखेड़ा लाल	4	2.400	4.200	6.600	102
11	रांवसर	1	0.800	0.600	1.400	95
12	लखेरी बसारती	4	0.800	4.800	5.600	101
13	सागर (बरिया चक)	9	0.000	12.400	12.400	103
14	सलमाई	2	0.000	3.200	3.200	101
15	खिरिया गुम	3	4.000	6.000	10.000	106
16	हिनीतिया पछार	1	1.000	0.200	1.200	92
17	छपराई	1	0.000	0.800	0.800	106
18	बेरखेड़ी तूमैन	3	1.200	0.600	1.800	102
	योग . .	62	39.400	73.200	112.600	

केन्द्र — सिकन्दरा, जिला अशोकनगर

1	अमाही	3	0.000	2.000	2.000	94
2	अनन्तपुर	6	1.000	2.400	3.400	102
3	आमखेड़ा	1	0.000	1.200	1.200	101
4	बरखेड़ा छजू	9	2.200	5.700	7.900	103
5	बरखेड़ी	1	0.000	3.000	3.000	81
6	घरोई	3	1.000	1.200	2.200	93
7	खजूरियां कला	8	6.200	11.700	17.900	103
8	जलालपुर	11	2.000	10.300	12.300	93
9	महुआखेड़ा	2	0.600	0.800	1.400	106
10	मोहरीराय	5	1.000	3.200	4.200	89
11	नगेश्री	11	3.400	5.200	8.600	92
12	शहबाजपुर	10	3.600	8.700	12.300	101
13	सिकन्दरा	17	5.400	12.200	17.600	92
14	तूमैन	12	1.000	9.200	10.200	96
15	धतूरिया	1	0.600	2.200	2.800	96
16	गोपालपुर	1	1.200	1.400	2.600	101
17	जुग्या	5	4.200	2.000	6.200	101
18	भेटुआ	2	0.000	1.000	1.000	104
19	सुमेर	6	3.200	2.200	5.400	101
	योग . .	114	36.600	85.600	122.200	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केन्द्र — तारई, जिला अशोकनगर						
1	सींगोन	4	1.000	0.800	1.800	110
2	खैराई	4	5.000	6.000	11.000	102
3	मर्दन खेड़ी	1	0.400	0.000	0.400	111
4	कुकरेठा	4	1.200	10.200	11.400	111
5	भटोली	1	2.400	0.400	2.800	116
6	डोंगर	4	2.200	1.400	3.600	110
7	जियाजीपुर	5	4.200	8.000	12.200	111
8	तारई	3	2.000	2.000	4.000	103
9	बमनाई	2	0.800	0.800	1.600	112
योग . .		28	19.200	29.600	48.800	

केन्द्र — शाढ़ौरा, जिला अशोकनगर

1	भौंसले गाँव	11	10.000	9.000	19.000	69
2	सेजी	2	0.500	2.000	2.500	67
3	पीली घटा	5	3.500	4.500	8.000	66
4	सिलावन	4	5.000	2.800	7.800	74
5	बगुल्या	7	1.000	3.700	4.700	80
6	चारौदा	3	8.000	4.000	12.000	70
7	चक्रचारौदा	3	4.000	2.000	6.000	70
8	गरेठा	3	1.000	2.000	3.000	107
9	जलालपुर	1	0.000	1.000	1.000	86
10	चकचिरोली	3	0.500	1.600	2.100	82
11	बल्दाई	1	0.500	1.000	1.500	73
12	काछी बमौरा	1	0.000	0.400	0.400	80
13	झीला	3	1.000	2.000	3.000	79
14	फरदाई	2	0.600	0.000	0.600	78
15	सेमरी लोहाबाद	1	0.000	0.400	0.400	74
योग . .		50	35.600	36.400	72.000	

केन्द्र — ईसागढ़, जिला अशोकनगर

1	जमडेरा	4	12.600	12.500	25.100	130
2	ईसागढ़	3	0.400	1.200	1.600	120
3	गहोरा	1	0.000	0.600	0.600	122
4	महुअन	2	1.000	1.400	2.400	129
5	ढाकोनी	14	10.200	12.900	23.100	116
6	राजाडेहर	3	1.200	4.000	5.200	126
7	नरसू खेड़ी	9	9.800	0.800	10.600	115
8	कुलवार	2	1.400	0.200	1.600	118
9	कुम्हरिया	1	0.000	0.400	0.400	114
10	कबीरी	8	4.600	6.400	11.000	118
11	इमझेरा	3	2.200	1.600	3.800	126

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	कालीटोर	5	3.000	4.200	7.200	119
13	शंकरपुर	9	1.400	5.800	7.200	120
14	सरजापुर	4	0.000	3.000	3.000	127
15	श्यामा टोरी	3	4.800	3.100	7.900	119
16	करोँदी	23	16.800	12.600	29.400	120
17	शाहपुर	4	3.800	2.600	6.400	120
18	लहदपुर	1	1.600	0.000	1.600	121
19	शीतलपुर	8	5.800	6.800	12.600	121
20	ध्यानपुर	2	0.600	1.800	2.400	122
21	भियाखेड़ी	6	6.000	9.900	15.900	133
22	पाठखेड़ी	3	1.800	1.200	3.000	110
23	हैदर	1	1.000	0.000	1.000	118
24	कोहर वास	1	0.000	0.400	0.400	128
25	भौरा	4	5.600	4.400	10.000	138
26	डेगा (मोचार)	1	0.000	1.000	1.000	126
27	वनौरा चक्क	2	0.000	0.400	0.400	126
	योग . .	127	95.600	99.200	194.800	

केन्द्र — सारसखेड़ी, जिला अशोकनगर

1	सान्दोह	3	3.000	0.000	3.000	
2	अमाही	2	0.600	1.600	2.200	103
3	कनेरा	2	0.000	4.000	4.000	106
4	पाकरोड	4	0.200	2.400	2.600	105
5	परासरी	1	0.000	0.400	0.400	108
6	चन्दन बेहटा	6	8.200	3.200	11.400	102
7	पिपरेसरा	2	0.600	1.000	1.600	115
8	महाना	1	0.000	2.400	2.400	102
9	पिपरिया	2	0.000	3.000	3.000	122
10	खमखेड़ी	1	0.000	2.000	2.000	108
11	जनोदा	1	1.600	1.000	2.600	106
12	मूडरा ढाकोनी	2	0.400	5.000	5.400	125
13	गोविन्दपुर	1	0.000	1.000	1.000	107
14	राजतला	2	1.800	2.600	4.400	102
15	सेमर खेड़ी	7	4.600	10.800	15.400	106
16	रूहाना	7	1.800	5.200	7.000	105
17	पाटई	1	0.000	0.600	0.600	102
18	छैलाई	1	0.000	0.600	0.600	103
19	धुरा	1	0.000	1.000	1.000	104
	योग . .	47	22.800	47.800	70.600	

केन्द्र — अचलगढ़, जिला अशोकनगर

1	अचलगढ़	28	24.000	33.500	57.500	128
2	देवपुर	1	0.000	2.000	2.000	135

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	सिंगारदा	2	5.200	5.600	10.800	130
4	कालपीचक	2	3.400	4.800	8.200	130
5	हंसनगर	6	9.400	7.400	16.800	132
6	जनकपुर खिरिया	1	0.000	0.400	0.400	136
7	ढिमचौली	5	0.000	5.500	5.500	139
8	पारकना	2	0.400	4.800	5.200	142
9	सहराई	4	6.200	3.000	9.200	134
10	पठारी	3	0.000	3.100	3.100	142
11	कारातला	2	0.000	2.800	2.800	138
12	मूडरी	4	0.600	14.400	15.000	124
13	केनवारा	6	16.000	12.000	28.000	128
14	खोरीबरी	1	0.000	2.000	2.000	123
15	चिरोली	1	0.000	2.000	2.000	145
16	किरौला	1	0.000	2.000	2.000	142
	योग . .	69	65.200	105.300	170.500	

केन्द्र — चन्देरी, जिला अशोकनगर

1	खलीलपुर	2	3.000	1.400	4.400	135
2	मीठाखेडा	2	0.000	3.200	3.200	161
3	गरेठी	3	0.300	8.000	8.300	123
4	कुरवासा	1	0.000	3.000	3.000	137
5	नावनी	9	11.000	12.000	23.000	155
6	तगारी	1	0.000	0.200	0.200	132
7	बडेरा चक्क	2	0.400	0.800	1.200	155
8	मोहनपुर	1	0.000	0.800	0.800	157
9	हंसारी	1	0.200	0.400	0.600	153
10	जारसल चक्क	5	2.800	0.000	2.800	153
	योग . .	27	17.700	29.800	47.500	

केन्द्र — बहादुरपुर, जिला अशोकनगर

1	कुम्हरा	1	1.000	2.000	3.000	135
2	सिरसौरा	1	0.000	0.400	0.400	132
3	ओण्डेर	1	0.000	0.600	0.600	101
4	मुंगावली	1	0.000	0.200	0.200	145
5	भेडका	9	5.600	15.600	21.200	151
6	सिलावन	1	0.000	0.400	0.400	122
7	रतभानपुर	1	0.000	0.600	0.600	128
8	बरी	6	4.600	7.000	11.600	135
9	रमपुरा	15	3.000	9.400	12.400	155
10	पिपरिया	1	5.000	0.000	5.000	134
11	हाजूखेड़ी	2	5.000	4.400	9.400	130
12	गीलारोपा	4	0.000	6.000	6.000	125

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	मलावनी	1	0.000	1.000	1.000	110
14	नेकहाई	1	0.400	2.400	2.800	123
15	मल्हारगढ़	2	0.000	2.200	2.200	161
16	खुजराई	1	0.000	0.600	0.600	125
17	हाँसली	1	1.000	0.000	1.000	137
18	बगवा	2	4.200	2.000	6.200	138
19	मूडरा बहादरा	1	0.000	1.200	1.200	110
20	मूडरा खाना	2	1.000	4.400	5.400	105
21	बिजलीपुर	1	0.800	0.000	0.800	110
22	मदऊखेड़ी	1	0.800	0.000	0.800	170
	योग . .	56	32.400	60.400	92.800	

केन्द्र — सिरोंज, जिला विदिशा

1	नेवली	5	2.800	4.500	7.300	63
2	लटेरी	3	1.200	2.500	3.700	70
3	मोहब्बतपुर	16	5.000	8.500	13.500	65
4	गोपी तलैया	10	4.000	7.500	11.500	81
5	मोहनपुर	5	2.000	2.800	4.800	73
6	मूडरा सागर	6	3.000	5.200	8.200	127
7	मुराडिया	7	2.000	3.600	5.600	115
8	शहरखेड़ा	7	1.000	1.400	2.400	80
9	टोंकरा	6	2.000	3.600	5.600	73
10	छिरारी	8	1.000	1.400	2.400	90
11	सौजना	6	3.000	5.400	8.400	67
12	द्विमरौली	12	3.000	4.600	7.600	81
13	घुटुआ	1	0.200	1.800	2.000	75
14	मुरवास	5	1.000	1.400	2.400	85
15	इस्लाम नगर	4	1.800	2.400	4.200	58
16	रतलनगढ़	12	6.000	11.400	17.400	114
17	बरखेड़ा घूस	21	6.000	9.000	15.000	75
18	धरगा	32	15.000	26.000	41.000	71
19	सगड़ा	12	7.000	11.000	18.000	74
20	आमखेड़ा	11	7.000	14.000	21.000	101
21	सुगनाखेड़ी	8	3.000	3.800	6.800	90
22	बलरामपुर	9	2.000	3.200	5.200	87
23	चंदपुरा	4	1.000	1.800	2.800	78
24	बरखेड़ादेव	2	0.600	1.400	2.000	76
25	जटपुरा	3	0.400	0.800	1.200	125
26	मण्डी बामौरा	4	3.000	4.200	7.200	150
27	बडेरा	6	2.000	2.800	4.800	110
28	महोटी	1	0.000	1.000	1.000	75
29	बरखेड़ा याकूब	12	5.000	5.000	10.000	80
	योग . .	238	91.000	152.000	243.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
केन्द्र —कोलारस (कोलारस एवं बदरवास तह.) , जिला शिवपुरी						
1	हरि पुर	16	5.800	13.200	19.000	142
2	केलदार	4	0.500	2.600	3.100	117
3	झाडेल	3	0.000	2.100	2.100	95
4	पायगा	4	0.100	0.500	0.600	147
5	ऐनवारा	1	0.000	0.200	0.200	155
6	नारायणपुरा	1	0.000	0.200	0.200	185
7	बरखेड़ा	1	0.000	0.200	0.200	165
8	बरखेड़ा खुर्द	1	0.000	0.200	0.200	187
9	बृहथाना	1	0.400	0.600	1.000	156
10	डोडीयाई	1	0.000	0.500	0.500	165
11	बैडारी	1	0.000	0.800	0.800	124
12	रन्नौद	3	0.200	1.200	1.400	126
13	पडौरा	1	1.200	0.700	1.900	115
14	रामगढ़	1	0.300	0.000	0.300	126
15	काटी	1	0.000	0.100	0.100	170
16	चिलावद	1	0.000	1.000	1.000	136
17	मझैरा	1	0.000	3.000	3.000	125
18	सजाई	2	0.300	0.400	0.700	180
19	मितौजी	1	0.000	5.000	5.000	113
20	बासंखेड़ी	1	0.000	0.400	0.400	144
21	निवोदा	2	0.300	0.700	1.000	115
22	पिपरौदा	2	0.600	1.400	2.000	187
23	सड़बुड़	1	0.000	1.000	1.000	128
24	गढ़रेजा	7	0.000	0.700	0.700	185
25	ढैकुआ	1	0.000	0.400	0.400	95
26	खरैह	1	0.000	0.200	0.200	138
27	पचावला	1	2.100	0.000	2.100	145
28	बरोदिया	1	2.800	0.000	2.800	143
29	सिगरौदा	1	0.300	0.000	0.300	167
30	बागरौद	1	0.300	0.000	0.300	180
31	बामौर कला	1	0.000	0.700	0.700	180
32	चक्क पारागढ़	5	7.000	12.000	19.000	150
33	गिठौरा	1	4.000	0.000	4.000	165
योग . .		71	26.200	50.000	76.200	

केन्द्र —सीहोर, जिला सीहोर

1	सीहोर	-	24.850	10.650	35.500	250
2	मुसकरा	-	9.590	4.110	13.700	250
3	खजूरिया बंगला	-	20.000	2.000	22.000	250
4	हदरगंज	-	13.020	5.580	18.600	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	आमला	-	1.470	0.630	2.100	250
6	कचनारिया	-	4.130	1.770	5.900	250
7	काहेरी	-	3.920	1.680	5.600	250
8	खारया	-	6.020	2.580	8.600	250
9	गुडुबेला	-	17.080	7.320	24.400	250
10	कोनाझिर	-	7.210	3.090	10.300	250
11	मोगरा राम	-	10.850	4.650	15.500	250
12	आमझिर	-	14.560	6.240	20.800	250
13	हसनवा	-	13.650	5.850	19.500	250
14	नामला खेडी	-	1.750	0.750	2.500	250
15	मोहाल	-	2.660	1.140	3.800	250
16	मुंगावली	-	4.690	2.010	6.700	250
17	जामोनिया	-	4.620	1.980	6.600	250
18	रायपुरा	-	3.920	1.680	5.600	250
19	खण्डवा	-	10.850	4.650	15.500	250
20	खजूरियाखुर्द	-	3.000	1.500	4.500	250
21	खजूरिया कला	-	5.950	2.550	8.500	250
22	धन खेडी	-	3.780	1.620	5.400	250
23	शेख पुरा	-	3.150	1.350	4.500	250
24	ढबोटी	-	8.500	2.000	10.500	250
25	पीपल खेडा	-	3.920	1.680	5.600	250
26	बड़ियाखेडी	-	5.000	1.600	6.600	250
27	बहर खेडा	-	2.450	1.050	3.500	250
28	बैरागढ़ छत्री	-	3.220	1.380	4.600	250
29	कसार खेडी	-	3.290	1.410	4.700	250
30	महुआ खेडा	-	5.950	2.550	8.500	250
31	तिनोलिया	-	4.550	1.950	6.500	250
32	देहरिया	-	3.150	1.350	4.500	250
33	रायपुर	-	5.250	2.250	7.500	250
34	शम खेडा	-	2.030	0.870	2.900	250
35	घाट प्लाती	-	3.150	1.350	4.500	250
36	वहीदगंज	-	2.450	1.050	3.500	250
37	सिराडी	-	3.850	1.650	5.500	250
38	सेंठी	-	3.500	1.500	5.000	250
39	सर खेडा	-	5.950	2.550	8.500	250
40	कादरा बाद	-	4.620	1.980	6.600	250
41	रावन खेडा	-	8.050	3.450	11.500	250
42	बैरागढ़ गनेश	-	2.450	1.050	3.500	250
43	जाजन खेडी	-	5.950	2.550	8.500	250
44	गोल खेडी	-	2.520	1.080	3.600	250
45	उलझावन	-	24.920	10.680	35.600	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46	शिलगर सुर	-	14.000	6.000	20.000	250
47	सागौनी	-	5.950	2.550	8.500	250
48	बमूलिया	-	8.050	3.450	11.500	250
49	बडनगर	-	5.950	2.550	8.500	250
50	टिटोरा	-	3.500	1.500	5.000	250
51	आलम पुर	-	6.020	2.580	8.600	250
52	बिजलोन	-	5.250	2.250	7.500	250
53	भेआ खेडा	-	6.230	2.670	8.900	250
54	राम खेडी	-	5.320	2.280	7.600	250
55	ढावला	-	6.790	2.910	9.700	250
56	जीरा पुर	-	3.220	1.380	4.600	250
57	अलावती	-	4.060	1.740	5.800	250
58	बरवेली	-	13.000	1.000	14.000	250
59	बिलकिस गंज	-	5.950	2.550	8.500	250
60	खेड़ली	-	7.420	3.180	10.600	250
61	बारवाखेड़ी	-	4.000	0.000	4.000	250
62	चैनपुरा	-	6.160	2.640	8.800	250
63	बागेर	-	2.000	0.500	2.500	250
64	फन्दा	-	25.000	3.400	28.400	250
65	वहीदगंज	-	1.500	0.500	2.000	250
66	दुपरियादांगी	-	6.000	1.500	7.500	250
67	खुरचनी	-	6.650	2.850	9.500	250
68	कमरी	-	3.150	1.350	4.500	250
69	सेनरी	-	3.500	1.500	5.000	250
70	इच्छावर	-	7.070	3.030	10.100	250
71	देह खेड़ी	-	10.920	4.680	15.600	250
72	गाँवतलाव	-	8.190	3.510	11.700	250
73	विनायक पुर	-	3.920	1.680	5.600	250
74	अतरालिया	-	7.840	3.360	11.200	250
75	रामजी पुरा	-	3.710	1.590	5.300	250
76	तोरनिया	-	13.000	2.500	15.500	250
77	राम पुरा	-	8.190	3.510	11.700	250
79	चंद पुरा	-	3.850	1.650	5.500	250
80	विछौली	-	7.420	3.180	10.600	250
81	भाऊ खेड़ी	-	6.020	2.580	8.600	250
82	नरसिंह खेड़ा	-	34.650	14.850	49.500	250
83	सुखलिया	-	3.360	1.440	4.800	250
84	प्रताप पुरा	-	2.940	1.260	4.200	250
85	बड़वेली	-	14.000	3.000	17.000	250
86	जमोलिया	-	12.320	5.280	17.600	250
87	बूड़ी	-	4.060	1.740	5.800	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88	ढाई खेडा	-	2.590	1.110	3.700	250
89	कोलू खेडा	-	6.020	2.580	8.600	250
90	काला पीपल	-	10.220	4.380	14.600	250
91	बसुदिया कंगर	-	24.780	10.620	35.400	250
92	ढावलां माता	-	10.850	4.650	15.500	250
93	बृजेश नगर	-	3.780	1.620	5.400	250
94	बड़ोदिया	-	3.780	1.620	5.400	250
95	गजी खेडी	-	4.550	1.950	6.500	250
96	मोहन पुर	-	3.430	1.470	4.900	250
97	सेन्दू खेडी	-	4.480	1.920	6.400	250
98	सुआ खेडा	-	3.010	1.290	4.300	250
99	बोरदी कला	-	10.850	4.650	15.500	250
100	नादान	-	11.760	5.040	16.800	250
101	अली पुर	-	10.640	4.560	15.200	250
102	सम पुरा	-	13.720	5.880	19.600	250
103	वीर पुरा	-	12.460	5.340	17.800	250
104	गुराडी	-	15.750	6.750	22.500	250
105	झाल पिपली	-	16.170	6.930	23.100	250
106	दिवडिया	-	4.550	1.950	6.500	250
107	नया पुरा	-	7.210	3.090	10.300	250
108	कोडिया	-	3.500	0.500	4.000	250
109	खैरी	-	1.000	0.500	1.500	250
110	लसूडियाकांगर	-	8.000	3.000	11.000	250
111	जामली	-	3.360	1.440	4.800	250
112	बावडिया मेसाई	-	3.710	1.590	5.300	250
113	हिम्मत पुरा	-	6.020	2.580	8.600	250
114	झालकी	-	12.950	5.550	18.500	250
115	कुलासखुर्द	-	14.000	2.000	16.000	250
116	कुलासकलां	-	8.000	1.500	9.500	250
117	जुझार पुर	-	1.500	0.000	1.500	250
118	तूमड़ा	-	3.000	0.500	3.500	250
119	रघुनाथ पुरा	-	10.780	4.620	15.400	250
120	जुझाल पुरा	-	7.560	3.240	10.800	250
121	मोहरी	-	1.050	0.450	1.500	250
122	बंदा खेडी	-	5.950	2.550	8.500	250
123	मोलू खेडी	-	7.350	3.150	10.500	250
124	जसमत	-	12.950	5.550	18.500	250
125	पगरिया हार	-	10.850	4.650	15.500	250
126	मोगा खेडी	-	12.950	5.550	18.500	250
127	नरेला	-	4.000	1.900	5.900	250
128	नापली	-	11.550	4.950	16.500	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
129	खचरोद	-	3.150	1.350	4.500	250
130	जावर	-	14.000	5.000	19.000	250
131	पीपल्या रामदास	-	9.450	4.050	13.500	250
132	जंगल सेहरी	-	12.950	5.550	18.500	250
133	सिद्दीकी गंज	-	3.920	1.680	5.600	250
134	गंवा खेडा	-	4.550	1.950	6.500	250
135	मुल्लानी	-	5.250	2.250	7.500	250
136	सामरदी	-	2.450	1.050	3.500	250
137	टीपा खेडी	-	3.150	1.350	4.500	250
138	जामुनियाजोहर	-	4.200	1.800	6.000	250
139	बमूलिया खींची	-	2.450	1.050	3.500	250
140	कचनारिया	-	3.150	1.350	4.500	250
141	प्रारवा	-	7.560	3.240	10.800	250
142	मनी खेडा	-	1.000	0.500	1.500	250
143	माता खेडा	-	12.950	5.550	18.500	250
144	जामोनिया गोप	-	4.000	2.500	6.500	250
145	लोहरास खुर्द	-	1.000	0.500	1.500	250
146	मुडला	-	1.750	0.750	2.500	250
147	मैना	-	10.150	4.350	14.500	250
148	पगडावद	-	2.450	1.050	3.500	250
149	सेवदा	-	9.450	4.050	13.500	250
150	सावत खेडी	-	1.000	0.500	1.500	250
151	जहंगीरपुरा	-	5.250	2.250	7.500	250
152	खाम खेड़ा	-	6.650	2.850	9.500	250
153	बैजनाथ	-	3.360	1.440	4.800	250
154	गुल खेडी	-	2.800	1.200	4.000	250
155	हाजीपुर	-	2.450	1.050	3.500	250
156	टीलाखेडी	-	2.450	1.050	3.500	250
157	हरनावदा	-	2.520	1.080	3.600	250
158	गुरावर	-	2.940	1.260	4.200	250
159	आमला मञ्जू	-	4.410	1.890	6.300	250
160	गुराडिया वर्मा	-	0.500	0.500	1.000	250
161	गाजना	-	3.150	1.350	4.500	250
162	कुडली	-	2.660	1.140	3.800	250
163	संजूरिया	-	5.950	2.550	8.500	250
164	बालाखेड़ा	-	4.550	1.950	6.500	250
165	लसूड पुर	-	3.220	1.380	4.600	250
166	बारोद	-	10.850	4.650	15.500	250
167	माण्डली	-	14.420	6.180	20.600	250
168	मुगली	-	11.760	5.040	16.800	250
169	शोभा खेडी	-	8.050	3.450	11.500	250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
170	कर्मा खेडी	-	2.240	0.960	3.200	250
171	सामरदा	-	3.150	1.350	4.500	250
172	भौरासा	-	2.450	1.050	3.500	250
173	अरन्या राम	-	3.150	1.350	4.500	250
174	निपानियाकला	-	4.970	2.130	7.100	250
175	बोरूखेडा	-	1.610	0.690	2.300	250
176	दुपाडिया	-	3.220	1.380	4.600	250
177	चापडिया	-	5.950	2.550	8.500	250
178	कमलाखेडी	-	5.810	2.490	8.300	250
179	भीलखेडी	-	2.240	0.960	3.200	250
180	आष्टा	-	3.150	1.350	4.500	250
181	जबडी	-	3.150	1.350	4.500	250
182	अलहदाखेडी	-	11.550	4.950	16.500	250
183	खजूरी	-	5.950	2.550	8.500	250
184	आलन्या	-	4.550	1.950	6.500	250
185	क्राकडखेडा	-	7.350	3.150	10.500	250
	योग . .	0.000	1234.610	491.090	1725.700	

केन्द्र — महीदपुर, जिला उज्जैन

1	महीदपुर एवं तराना क्षेत्र के (ग्राम-3)	-	10.500	4.000	14.500	250
	योग . .	-	10.500	4.000	14.500	
	महायोग . .	1766.000	1957.910	1757.690	3715.600	

विकासखण्ड—विजयपुर, जिला मुरैना

दि मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना मर्या., कैलारस के अंतर्गत पेराई सत्र 2011-12 के लिए गन्ना क्षेत्राच्छादन की विकासखण्डवार सूची

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टेयर में)	जड़ी (हेक्टेयर में)	कुल योग (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बराकला	7	1.400	4.900	6.300
2	दोर्द	7	0.800	1.000	1.800
3	सुनवई	8	1.900	1.100	3.000
4	इकलौद	5	0.300	0.750	1.050
5	गढी	5	0.200	0.600	0.800
6	आरोन	2	0.250	0.000	0.250
7	इटवई	24	2.450	3.300	5.750
8	धागिनी	8	1.100	0.400	1.500
9	बैनीपुरा	5	0.400	1.000	1.400
10	झापर	7	0.500	0.400	0.900
11	धरसौला	28	5.500	17.000	22.500
12	झारेला	6	0.600	2.000	2.600
13	सलमपुर	9	0.800	1.400	2.200
14	जलालगढ़	1	0.000	0.100	0.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	देवरा	4	0.500	0.600	1.100
16	सालई	1	0.000	0.100	0.100
17	सिनरौदा	21	2.900	0.600	3.500
18	बड़ागाँव	10	2.000	3.500	5.500
19	टेलरी	2	0.000	0.400	0.400
20	रामपुर	50	0.400	30.100	30.500
21	सहसराम	9	1.750	4.800	6.550
22	कुशमानी	18	4.600	7.100	11.700
23	भट्टपुरा	6	0.800	2.100	2.900
24	महेशपुर	5	0.600	1.400	2.000
	योग . .	248	29.750	84.650	114.400

विकासखण्ड — पहाड़गढ़, जिला मुरैना

1	निकोडी	5	1.000	1.900	2.900
2	पपचौन	21	1.750	2.800	4.550
3	धूरकूड़ा	19	3.600	1.900	5.500
4	सिरसी	12	1.400	3.250	4.650
5	देवकच्छ	26	0.700	6.100	6.800
6	पनोरा	5	0.600	1.400	2.000
7	साँईपुरा	10	2.300	1.200	3.500
8	सगोरिया	12	0.500	2.550	3.050
9	वराहनी	16	4.150	1.200	5.350
10	बरौली	8	0.600	1.250	1.850
11	तिलोंजरी	2	0.400	0.000	0.400
12	बसैड़ी	3	1.100	2.600	3.700
13	सिंगाचौली	5	1.200	2.100	3.300
14	संकरा	12	1.200	4.500	5.700
15	कट्टोली	2	0.400	0.400	0.800
16	सेमई	10	2.600	4.100	6.700
17	खैरांकला	10	2.900	1.600	4.500
18	देवपुर	4	0.900	0.200	1.100
19	जनुआपुरा	2	1.000	1.200	2.200
20	मागरोल	2	0.400	1.000	1.400
21	माधौगढ़	2	1.000	0.200	1.200
22	बराहना	3	0.100	0.400	0.500
23	बसौली	4	0.300	0.700	1.000
24	भूरावली	3	0.600	0.400	1.000
25	फुलोंदा	14	0.350	3.250	3.600
26	टडोसोराकापुरा	38	0.000	15.200	15.200
27	पहाड़गढ़	3	0.850	0.600	1.450
28	टेलरी	1	0.400	0.400	0.800
29	भुरावलीकापुरा	45	8.500	15.600	24.100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30	मरा	1	0.200	1.200	1.400
31	सुजेमियांकापुरा	2	0.400	0.400	0.800
	योग . . .	302	41.400	79.600	121.000

विकासखण्ड — जौरा, जिला मुरैना

1	सुमावली	6	0.400	0.800	1.200
2	रूअर	1	0.000	0.400	0.400
3	सुसानी	2	0.000	0.800	0.800
4	दिजपुरा	2	0.000	0.800	0.800
5	कीरतपुर	9	1.000	0.850	1.850
6	निटहरा	20	1.300	4.000	5.300
7	हथरिया	2	0.400	0.000	0.400
8	बघेल	4	0.000	1.650	1.650
9	जलालपुर	16	3.000	3.700	6.700
10	घिनोरा	4	0.000	0.600	0.600
11	सिमरौदा	5	0.250	0.450	0.700
12	निधान	3	0.000	0.800	0.800
13	अलापुर	2	0.000	0.700	0.700
14	सिमरौदा	1	0.000	0.400	0.400
15	करौंदी	2	0.000	0.200	0.200
16	पृथ्वीपुरा	4	0.600	0.300	0.900
17	डोंगरपुर आसन	2	0.300	0.000	0.300
18	मुदावली	3	0.200	0.900	1.100
19	थरा	9	2.450	0.300	2.750
20	बिलगंज	15	2.300	3.100	5.400
21	परताज	31	3.500	4.000	7.500
22	छडेह	13	3.600	0.000	3.600
23	घाडौर	3	0.000	0.800	0.800
24	झालेकापुरा	1	0.000	0.250	0.250
25	नरहेला	5	0.000	1.300	1.300
26	जयरामपुरा	7	2.100	0.000	2.100
27	धमकन	12	2.700	0.000	2.700
28	लालवांस	1	0.200	0.200	0.400
29	कुम्हेरी	1	0.400	0.200	0.600
30	वृसंगपुरा	3	0.600	0.200	0.800
31	छैरा	2	0.400	0.000	0.400
	योग . . .	191	25.700	27.700	53.400

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विकासखण्ड—सबलगढ़, जिला मुँरैना					
1	लखेजरा	20	1.050	4.300	5.350
2	खानकापुरा	9	0.900	1.000	1.900
3	कीरतपुर	32	5.100	8.250	13.350
4	रामपहाड़ी	6	0.200	2.100	2.300
5	मांगरौल	33	7.000	9.300	16.300
6	जनकपुर	15	0.900	2.400	3.300
7	सबलगढ़	32	1.700	12.800	14.500
8	बेरई	14	1.550	3.100	4.650
9	पिपरघान	22	6.000	5.100	11.100
10	सुनहरा	54	4.200	27.700	31.900
11	धाडौर	15	0.800	4.250	5.050
12	रामपुरा कलां	10	1.750	4.500	6.250
13	कटघर	5	0.200	1.950	2.150
14	कितपुर	35	4.100	5.550	9.650
15	पिपररूआ	15	1.000	2.900	3.900
16	रामपुर	3	0.200	0.600	0.800
17	झीलमपुर	2	0.000	0.500	0.500
18	झोंडाकापुरा	19	0.950	1.850	2.800
19	इटवा	2	0.300	0.200	0.500
20	रानापुरा	22	0.000	4.350	4.350
21	बुद्धकापुरा	20	1.200	2.650	3.850
22	कुतघान	8	0.900	0.900	1.800
23	टोंगा	34	3.000	16.400	19.400
24	नारायणपुरा	20	2.300	7.250	9.550
25	पासौन खुर्द	23	3.200	5.100	8.300
26	पासौन कला	15	0.700	2.200	2.900
27	पहाड़ी	28	1.400	4.200	5.600
	योग . .	513	50.600	141.400	192.000

विकासखण्ड—कैलारस, जिला मुँरैना

1	बघरेटा	24	1.400		1.400
2	मोरीपुरा	2	0.400	0.000	0.400
3	बिरहनीकापुरा	1	0.000	0.400	0.400
4	हटीपुरा	8	1.000	0.500	1.500
5	गुजरवा	3	1.200	0.800	2.000
6	चौकी	7	2.900	0.700	3.600
7	नैपरी	5	0.600	0.000	0.600
8	सूरापुरा	6	0.750	4.200	4.950
9	सहदपुर	26	0.200	1.000	1.200
10	चेतापुरा	1	0.000	3.700	3.700

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	कुहरावली	14	2.840		2.840
12	ऐचोली	50	0.350	4.100	4.450
13	मुरवईकापुरा	21	0.600	4.400	5.000
14	जयरामपुरा	22	1.100	1.100	2.200
15	तोर	4	0.500	0.600	1.100
16	बड़मन	1	0.400	0.000	0.400
17	चनौटी	7	0.100	1.350	1.450
18	महेवा	12	0.200	2.300	2.500
19	वनोटीकापुरा	15	0.300	1.600	1.900
20	खेडाकला	40	12.700	19.150	31.850
21	आसलपुर	3	0.300	0.700	1.000
	योग . .	272	27.840	46.600	74.440

विकासखण्ड—कारखाना गेट, जिला मुँरैना

1	निरारा	4	1.200	1.000	2.200
2	वीमरपुर	14	5.400	4.900	10.300
3	कुठरावली	60	22.100	17.900	40.000
4	खुमानकापुरा	20	1.800	0.750	2.550
5	चौँडेरा	4	0.450	0.000	0.450
6	केथकापुरा	1	0.000	0.400	0.400
7	सुजर्मा	5	0.750	0.850	1.600
8	रीझोनी	16	2.400	2.500	4.900
9	वृहगवाजना	2	0.400	0.750	1.150
10	बस्तोलीपुरा	15	3.000	1.950	4.950
11	बस्तोली	47	9.900	11.050	20.950
12	चमरगवाँ	20	1.100	9.500	10.600
13	माधौपुरा	5	1.300	2.200	3.500
14	फूलपुरा	1	0.100	0.000	0.100
15	सुजानगढ़ी	12	2.300	3.300	5.600
16	कैलारस	4	1.100	1.100	2.200
17	खेरामानगढ़	44	1.800	8.100	9.900
18	महादवेपुरा	4	0.300	0.700	1.000
19	तोरिका	9	1.600	1.500	3.100
20	कुरौली	25	5.400	4.850	10.250
	योग . .	312	62.400	73.300	135.700
	महायोग . .	1838	237.690	453.250	690.940

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-11-12-332.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु मां भगवती शुगर मिल, बकतरा तह. बुधनी जिला सीहोर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	सीहोर/बुधनी	मिल द्वारा	21	250.21
2	रायसेन/बाड़ी	मिल द्वारा	26	405.72
3	रायसेन/बरेली	मिल द्वारा	04	22.84
4	रायसेन/गौहरगंज	मिल द्वारा	01	1.17
5	रायसेन/सिलवानी	मिल द्वारा	13	204.53
6	रायसेन/उदयपुरा	मिल द्वारा	25	245.96
7	होशंगाबाद/बाबई	मिल द्वारा	105	66.03
8	सागर/देवरी	महाराजपुर	27	326.27
योग :			222	1522.73

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

**माँ भगवती शुगर मिल लि. बकतरा
तहसील-बुधनी, जिला सीहोर (म. प्र.)**

पैराई वर्ष 2011-12 में क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव हेतु गन्ना ग्रामों की सूची

क्र. (1)	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम (2)	तहसील (3)	जिला (4)	गन्ने का कुल क्षेत्रफल (हे. में) (5)	फैक्ट्री से सड़क दूरी (किमी.) (6)
1	बकतरा	बुधनी	सीहोर	61.74	3
2	अमोन	बुधनी	सीहोर	12.77	6
3	बांसापुर	बुधनी	सीहोर	0.61	22
4	बोरना	बुधनी	सीहोर	0.94	15
5	डोबी	बुधनी	सीहोर	1.66	11
6	हथनोरा	बुधनी	सीहोर	12.13	15
7	हिगनासिर	बुधनी	सीहोर	5.02	12
8	जैत	बुधनी	सीहोर	0.40	11
9	जोनतला	बुधनी	सीहोर	71.46	3
10	खवादा	बुधनी	सीहोर	0.20	10
11	खितवाई	बुधनी	सीहोर	4.75	5
12	कोशमी	बुधनी	सीहोर	10.48	3
13	मछुवाई	बुधनी	सीहोर	2.94	8
14	नादनेर	बुधनी	सीहोर	10.91	10
15	नारायनपुर	बुधनी	सीहोर	1.43	15
16	नीमटोन	बुधनी	सीहोर	7.18	18
17	पिपलिया	बुधनी	सीहोर	6.44	13
18	सागपुर	बुधनी	सीहोर	2.02	5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	सिलगोना	बुधनी	सीहोर	1.96	12
20	सियागोन	बुधनी	सीहोर	9.83	2
21	ठीकरी	बुधनी	सीहोर	25.34	5
				योग . . 250.21	
1	बाड़ी	बाड़ी	रायसेन	8.10	18
2	अरका	बाड़ी	रायसेन	2.77	8
3	बड़ोदिया	बाड़ी	रायसेन	49.48	8
4	भारकच्छ	बाड़ी	रायसेन	18.68	11
5	भौंती	बाड़ी	रायसेन	37.47	18
6	बिसेर	बाड़ी	रायसेन	13.70	17
7	चन्द्रपुरा	बाड़ी	रायसेन	0.81	14
8	चारगाँव	बाड़ी	रायसेन	5.58	25
9	देहरीकला	बाड़ी	रायसेन	36.14	21
10	धांधला	बाड़ी	रायसेन	2.47	19
11	धीमनढ़ाना	बाड़ी	रायसेन	0.40	32
12	दिगवाड़	बाड़ी	रायसेन	5.67	5
13	डूमर	बाड़ी	रायसेन	2.40	11
14	गड़रवास	बाड़ी	रायसेन	170.33	16
15	बांसपिपरिया	बाड़ी	रायसेन	5.74	25
16	गूगलवाड़ा	बाड़ी	रायसेन	3.54	13
17	हरसिली	बाड़ी	रायसेन	15.58	23
18	जमोनिया	बाड़ी	रायसेन	2.37	17
19	केवलाझिर	बाड़ी	रायसेन	3.20	13
20	खण्डावर	बाड़ी	रायसेन	2.12	7
21	खपरिया	बाड़ी	रायसेन	1.58	11
22	किशनपुर	बाड़ी	रायसेन	3.55	16
23	मनकापुर	बाड़ी	रायसेन	6.29	22
24	नानपोन	बाड़ी	रायसेन	1.21	9
25	सागोनिया	बाड़ी	रायसेन	4.80	7
26	उटिया	बाड़ी	रायसेन	1.74	28
				योग . . 405.72	
1	डामडोंगरी	गौहरगंज	रायसेन	1.17	65
				योग . . 1.17	
1	बरेली	बरेली	रायसेन	5.68	36
2	छोटी भारकच्छ	बरेली	रायसेन	1.82	33
3	धनासरी	बरेली	रायसेन	1.17	32
4	किनगी	बरेली	रायसेन	14.17	39
				योग . . 22.84	
1	सिलवानी	सिलवानी	रायसेन	10.60	85
2	मुआर	सिलवानी	रायसेन	24.70	95
3	हमीरपुर	सिलवानी	रायसेन	20.10	78
4	बक्शी	सिलवानी	रायसेन	10.00	86
5	दवरी जागीर	सिलवानी	रायसेन	7.56	81
6	पिपलिया	सिलवानी	रायसेन	10.50	84

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	साइखेड़ा	सिलवानी	रायसेन	8.30	75
8	सहजपुर	सिलवानी	रायसेन	30.54	65
9	बुढ़ा	सिलवानी	रायसेन	20.18	88
10	पड़रिया	सिलवानी	रायसेन	3.50	70
11	सिमरिया	सिलवानी	रायसेन	20.18	50
12	धनगावाँ	सिलवानी	रायसेन	6.80	95
13	पाठापौड़ी	सिलवानी	रायसेन	31.57	90
योग . .				204.53	
1	उदयपुरा	उदयपुरा	रायसेन	10.30	77
2	चैन्दपुरा	उदयपुरा	रायसेन	3.00	85
3	बारहकला	उदयपुरा	रायसेन	2.00	83
4	बरबटपुर	उदयपुरा	रायसेन	4.00	78
5	अनघोरा	उदयपुरा	रायसेन	15.85	90
6	मोथा	उदयपुरा	रायसेन	3.64	89
7	केकड़ा	उदयपुरा	रायसेन	2.00	82
8	थालादिघावन	उदयपुरा	रायसेन	20.22	90
9	जाम	उदयपुरा	रायसेन	6.80	80
10	साईखेड़ा	उदयपुरा	रायसेन	7.36	70
11	बीझा	उदयपुरा	रायसेन	3.40	85
12	नयाखेड़ा	उदयपुरा	रायसेन	2.90	80
13	टिमरावन	उदयपुरा	रायसेन	2.80	88
14	पांजरा	उदयपुरा	रायसेन	2.00	83
15	कानीवाड़ा	उदयपुरा	रायसेन	3.64	88
16	पिपलाई	उदयपुरा	रायसेन	2.00	87
17	भुपतपुर	उदयपुरा	रायसेन	18.30	85
18	घाना	उदयपुरा	रायसेन	13.68	72
19	रहली	उदयपुरा	रायसेन	6.30	78
20	बोरास	उदयपुरा	रायसेन	3.95	90
21	बीसाबारी	उदयपुरा	रायसेन	3.40	85
22	सतेहरी	उदयपुरा	रायसेन	6.47	80
23	सेलारीकलां	उदयपुरा	रायसेन	45.95	60
24	ककरूआ	उदयपुरा	रायसेन	10.10	81
25	चिकली	उदयपुरा	रायसेन	45.90	80
योग . .				245.96	
1	बाबई	बाबई	होशंगाबाद	0.40	27
2	बिकोर	बाबई	होशंगाबाद	3.15	32
3	ढाना	बाबई	होशंगाबाद	2.39	12
4	फुरतला	बाबई	होशंगाबाद	0.48	37
5	गुलारिया	बाबई	होशंगाबाद	1.02	37
6	रजोन	बाबई	होशंगाबाद	1.29	12
7	सतवासा	बाबई	होशंगाबाद	0.77	29
8	सेमरी हरचन्द	बाबई	होशंगाबाद	1.07	32
9	सिलारी	बाबई	होशंगाबाद	0.62	30
10	सिरवाड़	बाबई	होशंगाबाद	4.24	33

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	उमरखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	2.01	32
12	खेरी	बाबई	होशंगाबाद	0.48	39
13	बागलखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.77	23
14	बुधवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.22	33
15	मुढ़ापार	बाबई	होशंगाबाद	0.80	35
16	शिवपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.37	40
17	सिमरौदा	बाबई	होशंगाबाद	0.25	38
18	तालकेशरी	बाबई	होशंगाबाद	0.45	39
19	बहारपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.60	31
20	गोल	बाबई	होशंगाबाद	0.46	33
21	बम्हौरी कला	बाबई	होशंगाबाद	0.70	43
22	आँखमऊ	बाबई	होशंगाबाद	0.50	30
23	गुजरवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.46	33
24	काजल खेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.50	36
25	कोटगाँव	बाबई	होशंगाबाद	0.45	37
26	काश खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.65	38
27	अल्ला खेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.90	40
28	मेघाली	बाबई	होशंगाबाद	0.60	39
29	गुलोन	बाबई	होशंगाबाद	0.38	41
30	मोहगाँव	बाबई	होशंगाबाद	0.42	42
31	सिंहपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.61	42
32	बागरा	बाबई	होशंगाबाद	0.72	39
33	मानागाँव	बाबई	होशंगाबाद	0.85	37
34	पहनतला	बाबई	होशंगाबाद	0.45	41
35	मेहदावाड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.60	43
36	खुटिया	बाबई	होशंगाबाद	0.40	44
37	झालौन	बाबई	होशंगाबाद	0.80	43
38	गाजनपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.54	42
39	सेन्दरवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.30	34
40	चौराहिट	बाबई	होशंगाबाद	0.45	39
41	संगाखेड़ा खुर्द	बाबई	होशंगाबाद	0.28	24
42	झालसर	बाबई	होशंगाबाद	0.62	27
43	खिडिया	बाबई	होशंगाबाद	0.37	32
44	चिचली	बाबई	होशंगाबाद	0.45	30
45	रैपुरा	बाबई	होशंगाबाद	0.45	34
46	मोहना	बाबई	होशंगाबाद	0.65	34
47	बन्शी खेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.60	32
48	मालनवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.40	24
49	पाटनी	बाबई	होशंगाबाद	0.60	27
50	मरागाँव	बाबई	होशंगाबाद	0.39	22
51	सरराकेशली	बाबई	होशंगाबाद	0.38	19
52	कोडरवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.44	18
53	बछवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.55	15
54	आमखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.40	19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
55	पाजारा खुर्द	बाबई	होशंगाबाद	0.50	18
56	पिपरपानी	बाबई	होशंगाबाद	0.35	20
57	गोदलवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.45	21
58	जमुनिया	बाबई	होशंगाबाद	0.60	24
59	सामौन	बाबई	होशंगाबाद	0.80	26
60	भानपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.64	25
61	डांगीवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.40	23
62	नगवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.90	20
63	जनकपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.35	19
64	खरगवाली	बाबई	होशंगाबाद	0.44	18
65	गनेरा	बाबई	होशंगाबाद	0.45	17
66	बनखा	बाबई	होशंगाबाद	0.30	19
67	नसीराबाद	बाबई	होशंगाबाद	0.40	14
68	भटवारी	बाबई	होशंगाबाद	0.45	15
69	कुठारिया	बाबई	होशंगाबाद	0.55	29
70	शुक्करवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.65	32
71	सुवाखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.33	35
72	पवार खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.40	37
73	जावली	बाबई	होशंगाबाद	0.25	35
74	आंचल खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.60	34
75	बज्जर वाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.42	32
76	बगलोन	बाबई	होशंगाबाद	0.65	27
77	विकोरी	बाबई	होशंगाबाद	0.80	28
78	भटवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.50	29
79	बनखेड़ी	बाबई	होशंगाबाद	0.33	39
80	बुधनी	बाबई	होशंगाबाद	0.42	38
81	मुडिया खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.33	35
82	तामचर	बाबई	होशंगाबाद	0.70	30
83	पनवासा	बाबई	होशंगाबाद	0.70	28
84	मजोजलपुर	बाबई	होशंगाबाद	0.58	28
85	ढोड़ई	बाबई	होशंगाबाद	0.62	41
86	मंगरोल	बाबई	होशंगाबाद	0.50	33
87	आहार खेड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.30	36
88	धनसी	बाबई	होशंगाबाद	0.60	36
89	चिलाचोन	बाबई	होशंगाबाद	0.28	37
90	गुड़ला	बाबई	होशंगाबाद	0.70	51
91	मनवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.80	33
92	गुरानिया मोती	बाबई	होशंगाबाद	0.36	34
93	झालसर	बाबई	होशंगाबाद	0.42	36
94	मढ़ावन	बाबई	होशंगाबाद	0.38	37
95	मुहासा	बाबई	होशंगाबाद	0.40	30
96	मकोदिया	बाबई	होशंगाबाद	0.63	34
97	संगाखेड़ा कला	बाबई	होशंगाबाद	0.33	32
98	बालाभेट	बाबई	होशंगाबाद	0.60	36

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	चपलासर	बाबई	होशंगाबाद	0.62	35
100	पीलीकरार	बाबई	होशंगाबाद	0.40	38
101	चांदला	बाबई	होशंगाबाद	0.90	36
102	कढ़ीया	बाबई	होशंगाबाद	0.58	35
103	मगरिया	बाबई	होशंगाबाद	0.30	36
104	शक्करवाड़ा	बाबई	होशंगाबाद	0.62	46
105	गोरा	बाबई	होशंगाबाद	0.75	41

योग . . 66.03

पेराई वर्ष 2011-12 में गन्ना क्षेत्र असाइनमेन्ट (आवंटन) हेतु जिला सागर के प्रस्तावित गन्ना ग्रामों की सूची
तहसील-देवरी के गन्ना ग्राम, जिला सागर

क्र.	गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम	तहसील	जिला	गन्ने का कुल क्षेत्रफल (हे. में)	फैक्ट्री से सड़क दूरी (किमी.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	महाराजपुर	देवरी	सागर	40.08	150
2	मढ़ पिपरिया	देवरी	सागर	28.74	145
3	बिचुआ	देवरी	सागर	6.07	170
4	देवरी	देवरी	सागर	8.09	164
5	सिमरिया	देवरी	सागर	39.26	152
6	सगरा	देवरी	सागर	12.95	156
7	रिछई	देवरी	सागर	6.88	155
8	खकरिया	देवरी	सागर	13.35	155
9	पांजरा	देवरी	सागर	8.09	160
10	विजौरा	देवरी	सागर	17.41	153
11	छिंदली	देवरी	सागर	19.02	168
12	टिकरिया	देवरी	सागर	17.81	180
13	मुआर	देवरी	सागर	18.21	168
14	कछरा	देवरी	सागर	4.85	170
15	बाड़ी	देवरी	सागर	4.05	160
16	पारसिया पिपलिया	देवरी	सागर	12.15	190
17	खैरी पदम	देवरी	सागर	16.20	165
18	डोभी	देवरी	सागर	6.00	155
19	रसैना	देवरी	सागर	8.00	157
20	सरई बन	देवरी	सागर	3.86	160
21	सर्रा	देवरी	सागर	4.80	160
22	कोपरा	देवरी	सागर	5.69	170
23	जैतपुर	देवरी	सागर	6.47	172
24	गौरझावर	देवरी	सागर	4.35	180
25	कछया जैतपुर	देवरी	सागर	7.35	185
26	सनखेड़ा	देवरी	सागर	2.54	190
27	सिलारपुर	देवरी	सागर	4.00	188

योग . . 326.27

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर, 2011

क्र.-गन्ना-एस-3-क्षे.रा.-11-12-341.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2011-12 हेतु रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर) (5)
1	होशंगाबाद	ठैनी	12	582.800
2	होशंगाबाद	रहटवाड़ा	14	666.400
3	होशंगाबाद	मालहनवाड़ा	13	622.000
4	होशंगाबाद	बाचावानी	17	740.000
5	होशंगाबाद	गरधा	15	469.200
6	होशंगाबाद	चादोन	10	363.600
7	होशंगाबाद	उमरधा	10	258.000
8	होशंगाबाद	इमलिया	09	176.800
9	होशंगाबाद	कन्हवार	24	420.000
			योग . . 124	4298.800

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है, यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2011-12
रामदेव शुगर प्रा. लि. ठैनी व बनखेड़ी, होशंगाबाद

सेन्टर का नाम.—ठैनी

क्र. (1)	ग्राम (2)	नया प. ह. नं. (3)	नोरपा हेक्टेयर में (4)	जड़ी हेक्टेयर में (5)	त्रिजड़ी हेक्टेयर में (6)	कुल रकवा हेक्टेयर में (7)
1	ठैनी		18.4	24.4	18.8	61.6
2	मनकवाड़ा		14.8	61.6	20	96.4
3	लामटा		18.4	20.8	32.4	71.6
4	प. पिपरिया		22.4	22	12.4	56.8
5	जुन्हेटा		6	28.8	1.6	36.4
6	खापा		6.4	4	0	10.4
7	राजथरी		18.8	18	15.6	52.4
8	करैया		3.6	14	0	17.6
9	खमरिया		14.4	46	24	84.4
10	बन्दरझोला		6.8	8.4	2	17.2
11	नयाखेड़ा		12	9.2	4.4	25.6
12	चिल्लोद		12	17.2	23.2	52.4
कुल योग . .			154	274.4	154.4	582.8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सेन्टर का नाम.—रहटवाड़ा						
1	रहटवाड़ा		79.6	55.2	112.8	247.6
2	नगवाड़ा		15.2	40.4	21.6	77.2
3	दहलवाड़ा		11.6	3.6	1.2	16.4
4	जोगीवाड़ा		2	5.2	1.6	8.8
5	खर्चली		15.2	2.8	2	20
6	पर्थकुही		25.2	41.2	12	78.4
7	पीपरपानी		8.4	41.2	2	53.2
8	कोठरी		2	0.8	0.8	3.6
9	मुर्गीढाना		20	0.8	0	20.8
10	कैकरा		14	17.6	1.2	32.8
11	जुनावानी ढाना		5.6	0	0	5.6
12	डंगरहाई		3.6	0	0	3.6
13	विजनहाई		0	1.6	0	1.6
14	कामती		52.4	39.6	4.8	96.8
कुल योग . .			254.8	250	160	666.4
सेन्टर का नाम.—मालहनवाड़ा						
1	तिन्वाड़ा		7.2	6.8	8	22
2	मछेरा खुर्द		21.2	28.4	29.6	79.2
3	मछेरा कलां		5.76	45.2	24.8	119.6
4	मालहनवाड़ा		34.4	34	6.2	74.6
5	बहरावन		7	22.6	6.2	35.8
6	पनागर		11	5.6	2	18.6
7	ढाना		1.6	4.2	0	5.8
8	परसवाड़ा		10.8	19.8	27.8	74.6
9	नांदना		14.4	11.2	13.2	38.8
10	रिछैडा		0	16.4	1.4	17.8
11	सुरेला		5.6	14.4	14.2	34.2
12	अन्हाई		3	90.4	1.6	95
13	सलैया		2	2	2	6
कुल योग . .			123.96	301	137	622
सेन्टर का नाम.—बाचावानी						
1	बाचावानी		87.2	63.4	111.6	262.2
2	कुशीढाना		4.4	5.2	0.8	10.4
3	कजियाखेडा		1.2	6.8	4.8	12.8
4	बघेड़ी		0	1.6	0	1.6
5	पोडी		1.2	2	0	3.2
6	आन्ध्रा		34.8	37	29.8	101.6
7	पडरई		9.6	8.4	6	24
8	बिचुआ		5.6	2.4	14.8	22.8
9	बेरखेडी		4.8	9.6	2.4	16.8
10	दहलवाड़ा		4.8	3.6	7.2	15.6
11	सिंगपकुर		19.2	15.2	15.2	49.6
12	बनखेड़ी		17.2	16.4	12.8	46.6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	कलकुही		24.8	41.2	21.2	87.2
14	पांजरा		16	12.8	14.4	43.4
15	महुआखेड़ा		0.8	12.8	2	2.8
16	केमढ़ाना		8	3.2	15.4	26.6
17	मेंदाखेड़ा		6.8	15.6	2.4	12.8
		योग . .	246.4	257.2	260.8	740
सेन्टर का नाम.—गरधा						
1	गरधा		6	21.2	10.2	37.4
2	ईशरपुर		46.8	56	36.8	139.6
3	गुंदरई		15.6	20.8	13.6	50
4	सीरावाड़ा		1.6	3.2	4	8.8
5	खामखेड़ी		8.4	18.2	4.4	31
6	चारगांव		24	10.8	6.4	41.2
7	जासरवानी		0.8	6.8	0	7.6
8	कपुरी		11.6	11.2	5.2	28
9	महुआखेड़ा		1.2	4.8	3.6	9.6
10	अम्हेरा		2	2.8	3.2	8
11	आमंगाव		7.2	0	2	9.2
12	जमनिया		2	4.8	0.8	7.6
13	खेरीरंधीर		0	3.6	4.8	8.4
14	सेमखेड़ा		1.6	0.8	0.8	3.2
15	पुरैनारंधीर		2.8	37.6	39.2	79.6
		योग . .	131.6	202.6	135	469.2
सेन्टर का नाम.—चाँदौन						
1	चाँदौन		22	30.8	6.4	59.2
2	भेरापुर		13.2	35.2	16	64.4
3	धारपुरा		2.8	3.2	1.6	7.6
4	घुंआवाड़ी		3.2	2	0	5.2
5	करपा		12.4	19.6	15.6	47.6
6	निभौरा		20.8	25.2	20.4	66.4
7	कुडारी		2	0	0	2
8	महगंवा		11.6	43.6	13.2	68.4
9	बाम्हनवाडा		5.6	12	4.4	22
10	खैरीकिशोर		7.2	12.8	0.8	20.8
		योग . .	100.8	184.4	78.4	363.6
सेन्टर का नाम.—उमरधा						
1	उमरधा		7.2	26.8	11.6	45.6
2	तिसरी		5.4	31.6	20	57
3	गाडरवाराखुर्द		7	14.6	0	21.6
4	सलैया किशोर		0	4.4	0	4.4
5	पुरैना कला		21.8	30.8	11.6	64.2
6	जुनावानी		8	5.2	4.8	18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	समनापुर		16.8	11.2	2	30
8	बनवारी		4	2	0	6
9	बुदनी		2	4.8	0	6.8
10	गड़रौली		2	2.4	0	4.4
		योग . .	74.2	133.8	50	258
सेन्टर का नाम.—इमलिया						
1	इमलिया		18	36	24	78
2	बेदर		0	6.8	0	6.8
3	राजापिपरिया		8	21.6	0	29.6
4	मलकजरा		0	28	0	28
5	मठा		0	3.2	0	3.2
6	भाटपिपरिया		2.4	10	7.6	20
7	टांटरा		0	2.4	0	2.4
8	महरागांव		0	3.2	1.6	4.8
9	मुआर		0	4	0	4
		योग . .	28.4	115.2	33.2	176.8
सेन्टर का नाम.—कन्हवार						
1	रजोला		27.6	11.6	16.8	56
2	सिंगोड़ी		18.8	7.2	18	44
3	नयागांव		1.6	1.6	0	3.2
4	रामपुर		0	1.6	0	1.6
5	महलवाडा		0	1.6	0	1.6
6	बकांज		4	0	0	4
7	पोसेरा		7.2	7.2	5.6	20
8	बांसखेड़ा		12.8	0	0	12.8
9	शोभापुर		0	2.4	0.8	3.2
10	कन्हवार		5.2	9.6	4	18.8
11	सिरपन		21.6	15.2	11.2	48
12	डुंगरिया		4.4	13.6	3.2	21.2
13	खेरुआ		2.8	2	7.2	12
14	इटुआ		2	0	0	2
15	पड़करा		0.8	0	0	0.8
16	देवरी		14.8	25.2	21.6	61.6
17	उदयपुरा		0	14	2.4	16.4
18	पुनोर		15.2	17.6	11.2	44
19	सोजनी		0	14.4	1.6	16
20	सेमरीतला		0	3.2	0	3.2
21	माथनी		0	20	0	20
22	शिवनी		0	1.6	4	5.6
23	खापरखेड़ा		0	2.4	0	2.4
24	शंखनी		0	1.6	0	1.6
		योग . .	138.8	173.6	107.6	420.00

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्र. ई-4197-दो-2-26-2011.— श्री वेद प्रकाश शर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को आदेश दिनांक 24 मई 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 30 मई से 10 जून 2011 तक बारह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 15 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. सी-8786-दो-2-16-2011.— श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (एजाम) उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर को आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत आकस्मिक अवकाश दिनांक 10 से 11 अक्टूबर 2011 तक दो दिवस (दिनांक 4 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश अवधि) के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 20 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2011

क्र. सी-8104-दो-2-25-2011.— श्री आर. के. गोस्वामी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को रजिस्ट्री पत्र क्रमांक सी-4628 दिनांक 7 जून 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 23 मई से 4 जून 2011 तक तेरह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और

विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 7 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. सी-8106-दो-2-47-2010.— श्री आर. एन. पटेल जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को रजिस्ट्री पत्र क्रमांक सी-4640 दिनांक 7 जून 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 6 से 17 जून 2011 तक बारह दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 8 सितम्बर 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. सी-8112-दो-3-34-2006.— श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 10 से 15 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 अक्टूबर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2011

क्र. सी-8277-दो-3-14-2006.— श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 23 से 26 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकिरण दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकिरण दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. सी-8279-दो-2-20-2005.—श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-8281-दो-2-22-2008.—श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 19 से 22 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ऋषभ कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 21 अक्टूबर 2011

क्र. सी-8789-दो-2-5-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 18 से 20 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. सी-8791-दो-2-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 29 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-8793-दो-2-37-2007.—श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 11 जुलाई से 30 अगस्त 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करके इक्यावन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 31 अगस्त से 1 सितम्बर 2011 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश प्रसाद पाराशर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-8795-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 17 से 24 अक्टूबर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 25, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8797-दो-3-65-2002.—श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 12 से 13 सितम्बर 2011 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 एवं 11 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. सी-8799-दो-2-42-2007.—सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी-5819 दिनांक 13 जुलाई 2011 के अन्तर्गत स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 13 से 22 जून 2011 तक दस दिवस के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 (1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 2 जून 2011 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. C-8801-दो-2-60-06.—श्री एच. यू. अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 6 फरवरी 2008 से दिनांक 5 फरवरी 2010 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-8803-दो-2-125-06.—श्री आर.बी.एस. बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से दिनांक 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-8812-दो-3-420-80-भाग नौ.—श्री प्रवीण शाह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्तमान में न्यायिक सदस्य, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, इंदौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2011 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश

में से 150 दिवस (एक सौ पचास दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक जी-3-2-96-सी-चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 एवं मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)-19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-897-इक्कीस-ब(एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

गणना-पत्रक

- श्री प्रवीण शाह, सेवानिवृत्त : 3-11-1979
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
का नियुक्ति दिनांक.
- सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-6-2011
- नियुक्ति दिनांक 3-11-1979 : 7 वर्ष 3 माह
से दिनांक 9-3-1987 तक
कुल सेवा अवधि.
- दिनांक 10-3-1987 से : 24 वर्ष 3 माह
सेवानिवृत्ति दिनांक तक
कुल सेवा अवधि.
- कालम (3) में अंकित : $7 \times 15 = 105$ दिन
अवधि हेतु समर्पण अवकाश
की पात्रता (एक वर्ष में 15
दिन की दर से).
- कालम (4) में अंकित अवधि : $24 = 12 \times 15 = 180$
हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता दिन.
(एक वर्ष में 7 दिन की दर
से तथा दो वर्ष में 15 दिन
की दर से).
- कुल अर्जित अवकाश : 285 दिन
समर्पण की पात्रता.
- घटाईये:—सेवा के दौरान : 135 दिन
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ.
- सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 150 दिन
अवकाश समर्पण की
पात्रता.
(सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2011 को शेष अर्जित अवकाश 229 दिन).

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 897-इक्कीस-ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C-8814-दो-3-65-2002.— श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 2 सितम्बर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-8816-दो-3-39-2005.—श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 7 अक्टूबर 2011 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4, 5 एवं 6 अक्टूबर 2011 के एवं पश्चात् में दिनांक 8 एवं 9 अक्टूबर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 22 अक्टूबर 2011

क्र. C-8866-दो-2-26-2005.—श्री ए.एच.एस. पटेल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 21 से 24 सितम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 सितम्बर 2011 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए.एच.एस. पटेल, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए.एच.एस. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011

संशोधन आदेश

क्र. 1339-गोपनीय-2011-दो-15-36-99.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश अपने आदेश क्रमांक 66-गोपनीय-2008-दो-15-36-99, दिनांक 15 जनवरी 2008 जो कि श्री आर. के. पुरोहित, तत्कालीन श्रम न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) को श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) के पद पर नियुक्ति के संबंध से है, में सुधार करते हुए, उक्त आदेश की सारणी के स्तम्भ 3 में दर्शित शब्दों “श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्ति की अवधि 7 जनवरी 1997 से 14 जून 2004 तक” को “श्रम न्यायाधीश (सिलेक्शन ग्रेड) में नियुक्ति दिनांक 7 जनवरी 1997 से” शब्दों से प्रतिस्थापित करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 17 अक्टूबर 2011

क्र. A-2730-दो-2-13-2008.—श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 अक्टूबर 2011 से 5 नवम्बर 2011 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी, एडीशनल डायरेक्टर, जे.ओ.टी.आर.आई., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोहर ममतानी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
ए. एम. येवलेकर, रजिस्ट्रार.